4 भारतीय संविधान

1. भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास

1757 ई. की पलासी की लड़ाई और 1764 ई. के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिये जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाये रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई ऐक्ट पारित किये, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनीं। वे निम्न हैं—

➢ 1773 ई. का रेग्यूलेटिंग एक्ट : इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है; जैसे–

(a) भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात् कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया।

(b) इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली।

(c) इसके द्वारा केन्द्रीय प्रशासन की नींव रखी गयी।

विशेषताएँ :

1. इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जेनरल पद नाम दिया गया तथा मुम्बई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जेनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे।
2. इस ऐक्ट के अन्तर्गत कलकत्ता प्रेसीडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद् के चार सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे।
3. इस अधिनियम के अन्तर्गत कलकत्ता में 1774 ई. में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे *(अन्य तीन न्यायाधीश–1. चैम्बर्स 2. लिमेस्टर 3. हाइड)*।
4. इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया।
5. इस अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया।

➢ ऐक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 ई. : रेग्यूलेटिंग ऐक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस ऐक्ट का प्रावधान किया गया। इस ऐक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया।

➢ 1784 ई. का पिट्स इंडिया ऐक्ट : इस ऐक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ—1. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स—व्यापारिक मामलों के लिए, 2. बोर्ड ऑफ कंट्रोलर—राजनीतिक मामलों के लिए।

➢ 1793 ई. का चार्टर अधिनियम : इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गयी।

➢ 1813 ई. का चार्टर अधिनियम : इस अधिनियम की मुख्य विशेषता हैं—1. कम्पनी के अधिकार-पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 2. कम्पनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया। किन्तु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। 3. कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 4. 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परन्तु 1813 ई. के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गयी।

➢ 1833 ई. का चार्टर अधिनियम : इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ हैं—1. इसके द्वारा कम्पनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिये गये। 2. अब कम्पनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। 3. बंगाल के गवर्नर जेनरल को भारत का गवर्नर जेनरल कहा जाने लगा। 4. बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। 5. विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद् में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। 6. भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ई. में उसका उन्मूलन कर दिया गया। 7. अधिनियम की धारा-87 के तहत कम्पनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबन्ध किया गया। 8. गवर्नर जनरल की परिषद् को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 9. भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया।

➢ 1853 ई. का चार्टर अधिनियम : इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ हैं— 1. इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धान्त समाप्त कर कम्पनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गयी। इसके लिए 1854 ई. में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 2. इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद् के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद् में छह नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया।

➢ 1858 ई. का भारत शासन अधिनियम : इस अधिनियम की विशेषताएँ हैं—1. भारत का शासन कम्पनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। 2. भारत में मंत्रि-पद की व्यवस्था की गयी। 3. पन्द्रह सदस्यों की भारत-परिषद् का सृजन हुआ। *(8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा)* 4. भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। 5. मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 6. इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 7. भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रीमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव *(Secretary of State for India)* की नियुक्ति की गयी। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका सम्पूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्योरे के विषय में। 8. भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए।

Education Keeda

➢ 1861 ई. का भारत परिषद् अधिनियम : इस अधिनियम की विशेषताएँ हैं—1. गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार किया गया, 2. विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ *(लार्ड कैनिंग द्वारा)*, 3. गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी। ऐसे आध्यादेश की अवधि मात्र छः महीने होती थी। 4. गवर्नर जेनरल को बंगाल, उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद् स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गयी। 5. इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद् में गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था।

नोट : ***1862 ई. में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों-बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधानपरिषद् में मनोनीत किया।***

➢ 1873 ई. का अधिनियम : इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्ध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी, 1884 ई. को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।

➢ शाही उपाधि अधिनियम, 1876 ई. : इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केन्द्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल, 1876 ई. को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया।

➢ 1892 ई. का भारत परिषद् अधिनियम : इस अधिनियम की मुख्य विशेताएँ हैं—1. अप्रत्यक्ष चुनाव-प्रणाली की शुरुआत हुई, 2. इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई।

➢ 1909 ई. का भारत परिषद् अधिनियम *(मार्ले-मिन्टो सुधार)* : 1. पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया। इसके अन्तर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे (भारत सरकार अधिनियम के तहत् पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी)। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। 2. भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जेनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। 3. केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-परिषदों को पहली बार बजट पर वाद-विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। 4. प्रान्तीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गयी। 5. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद् के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। 6. इस अधिनियम के तहत प्रेसीडेंसी कॉर्पोरेशन, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।

नोट : ***1909 ई. में लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय।***

➢ 1919 ई. का भारत शासन अधिनियम *(माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार)* : इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ हैं—1. केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गयी—प्रथम राज्य परिषद् तथा दूसरी केन्द्रीय विधानसभा। राज्य परिषद् के सदस्यों की संख्या 60 थी; जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केन्द्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अन्तर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। 2. प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया *(प्रांतों में द्वैध शासन के जनक 'लियोनस कार्टियस' थे।)*। 3. इस योजना के अनुसार प्रान्तीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया—आरक्षित तथा हस्तान्तरित या अन्तरित।

आरक्षित विषय : वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ *(criminal tribes)*, छापाखाना, समाचारपत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, वॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटरगाड़ियाँ, छोटे बन्दरगाह और सार्वजनिक सेवाएँ आदि।

हस्तान्तरित विषय : शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी, उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि।

नोट : *आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद् के माध्यम से किया जाना था; जबकि हस्तान्तरित विषयों का प्रशासन गर्वनर द्वारा विधान परिषद् के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। (इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ई. के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया।)*

4. भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 5. इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ई. में ली आयोग *(1923–24)* की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 6. इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद् में छह सदस्यों में से *(कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर)* तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 7. इसने सांप्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। 8. इसमें पहली बार केन्द्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 9. इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य दस वर्ष बाद जाँच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10. इस अधिनियम में केन्द्रीय विधान सभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया : (a) कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी, (b) उसे भारतीय विधान सभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी, (c) उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे, (d) वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था।

नोट : ***माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (भारत शासन अधिनियम–1919) द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉयड जार्ज था।***

➢ 1935 ई. का भारत शासन अधिनियम : 1935 ई. के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. अखिल भारतीय संघ : यह संघ 11 ब्रिटिश प्रान्तों, 6 चीफ कमीश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रान्तों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किन्तु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुईं और प्रस्तावित संघ की स्थापना-संबंधी घोषणा-पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया।
2. प्रान्तीय स्वायत्तता : इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अन्त कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया।
3. केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना : इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केन्द्र और प्रांतीय विधान मंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया।

Education Keeda

(a) परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधान मंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे।

(b) प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधान मंडलों की अनन्य अधिकारिता थी। यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे—पुलिस, प्रांतीय लोकसेवा और शिक्षा।

(c) समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधान मंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे—दंडविधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि।

ऊपर उल्लेखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी भी विधान मंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किये जाने पर परिसंघ विधान मंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधान मंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधान मंडल प्रांतीय विधान मंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि, प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी।

4. संघीय न्यायालय की व्यवस्था : इसका अधिकार-क्षेत्र प्रान्तों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गयी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी कौंसिल *(लंदन)* को प्राप्त थी।

5. ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता : इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधान मंडल और संघीय व्यवस्थापिका—इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे।

6. भारत परिषद् का अन्त : इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद् का अन्त कर दिया गया।

7. साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार : संघीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न सम्प्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया।

8. इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था।

9. इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया।

10. इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।

11. इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया।

➢ 1947 ई. का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम : ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, 1947 ई. को 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम' प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई, 1947 ई. को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएँ थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं—1. दो अधिराज्यों की स्थापना : 15 अगस्त, 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिये जायेंगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जायेगी। 2. भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक-एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रीमंडल की सलाह से की जायेगी। 3. संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना—जब तक संविधान सभाएँ संविधान का निर्माण नहीं कर लेतीं, तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। 4. भारत-मंत्री के पद समाप्त कर दिये जायेंगे। 5. 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जबतक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है; तबतक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। 6. देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अन्त कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान, किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। 7. इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्यक्षेत्र मिल गया।

नोट : ***सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ई. के प्रवृत् होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था।***

2. भारतीय संविधान सभा

➢ कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई, 1946 ई. में किया गया। *(कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफार्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा ए. वी. एलेक्जेण्डर थे।)*

नोट : ***भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ई. में प्रस्तुत की।***

➢ संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गयी थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे।

➢ मिशन योजना के अनुसार जुलाई, 1946 ई. में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रान्तों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें काँग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए।

➢ 9 दिसम्बर, 1946 ई. को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की माँग प्रारंभ कर दी।

नोट : ***हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे।***

➢ प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था।

➢ प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः तीन प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, ये समुदाय थे—मुस्लिम, सिक्ख एवं साधारण।

संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष	
1. संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2. संघीय संविधान समिति	पंडित जवाहर लाल नेहरू
3. प्रांतीय संविधान समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
4. प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अम्बेदकर
5. संघ शक्ति समिति	पंडित जवाहर लाल नेहरू
6. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
7. राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

नोट : ***मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की दो उपसमितियाँ थीं—***

(a) मौलिक अधिकार उपसमिति— जे. बी. कृपलानी

(b) अल्पसंख्यक उपसमिति—एच. सी. मुखर्जी

Education Keeda

➢ संविधान सभा में ब्रिटिश प्रान्तों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन साम्प्रदायिक आधार पर किया गया—213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिक्ख।

➢ संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी।

➢ संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी।

➢ 11 दिसम्बर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

➢ संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसम्बर, 1946 को जवाहर लाल नेहरू द्वारा पेश किये गये उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई।

➢ 22 जनवरी, 1947 ई. को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियाँ नियुक्त कीं। इनमें प्रमुख थीं—वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति।

संविधान सभा की महिला सदस्य

1. अम्मू स्वामीनाथन
2. ऐनी मैस्करीन
3. बेगम एजाज रसूल
4. दक्ष्यानी वेल्यादुन
5. जी. दुर्गाबाई
6. हंसा मेहता
7. कमला चौधरी
8. लीला रे
9. मालती चौधरी
10. पूर्णिमा बनर्जी
11. रेणुका राय
12. सरोजिनी नायडू
13. राजकुमारी अमृतकौर
14. सुचेता कृपलानी
15. विजयालक्ष्मी पंडित

➢ बी.एन. राव द्वारा तैयार किये गये संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त, 1947 ई. को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेदकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या सात थी, जो इस प्रकार है— 1. डॉ. भीमराव अम्बेदकर *(अध्यक्ष)* 2. एन. गोपाल स्वामी आयंगर 3. अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 4. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 5. सैय्यद मोहम्मद सादुल्ला 6. एन. माधव राव *(बी. एल. मित्र के स्थान पर)* 7. डी.पी. खेतान *(1948 ई. में इनकी मृत्यु के बाद टी. टी. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया)*।

नोट : *संविधान सभा में अम्बेदकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बँटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ।*

➢ 3 जून, 1947 ई. की योजना के अनुसार देश का बँटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गयी, जिसमें 235 स्थान प्रान्तों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिये थे।

कैबिनेट मिशन (*1945 ई.*) के प्रस्ताव पर गठित अन्तरिम मंत्रीमंडल (*2 सितम्बर, 1946 ई.*)

क्र.	मंत्री	विभाग
1.	जवाहरलाल नेहरू	कार्यकारी परिषद् के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल
2.	बल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना तथा प्रसारण
3.	बलदेव सिंह	रक्षा
4.	जॉन मथाई	उद्योग तथा आपूर्ति
5.	सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा
6.	सी. एच. भाभा	कार्य, खान एवं बन्दरगाह
7.	राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
8.	आसफ अली	रेलवे
9.	जगजीवन राम	श्रम
मंत्रीमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य *(26 अक्टूबर, 1946 ई.)*		
10.	लियाकत अली खाँ	वित्त
11.	आई. आई. चुन्दरीगर	वाणिज्य
12.	अब्दुल रब नश्तर	संचार
13.	जोगेन्द्र नाथ मंडल	विधि (बंगाल SCF चीफ)
14.	गजान्तर अली खाँ	स्वास्थ्य

➢ देश-विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर, 1947 ई. को किया गया और 31 दिसम्बर, 1947 ई. को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी।

➢ प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के बाद 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की।

➢ संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवम्बर से 9 नवम्बर, 1948 ई. तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवम्बर, 1948 ई. को प्रारम्भ हुआ, जो 17 अक्टूबर, 1949 ई. तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवम्बर, 1949 ई. को प्रारंभ हुआ जो 26 नवम्बर, 1949 ई. तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे।

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रीमंडल, 1947

क्र.	मंत्री	विभाग
1.	जवाहर लाल नेहरू	प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले; वैज्ञानिक शोध
2.	सरदार बल्लभ भाई पटेल	गृह, सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले
3.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
4.	मौ. अबुल कलाम आजाद	शिक्षा
5.	डॉ. जॉन मथाई	रेलवे एवं परिवहन
6.	डॉ. बी.आर. अंबेदकर	विधि
7.	जगजीवन राम	श्रम
8.	सरदार बलदेव सिंह	रक्षा
9.	राजकुमारी अमृतकौर	स्वास्थ्य
10.	सी.एच. भाभा	वाणिज्य
11.	रफी अहमद किदवई	संचार
12.	आर.के. षणमुगम शेट्टी	वित्त
13.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	उद्योग एवं आपूर्ति
14.	वी.एन. गाडगिल	कार्य, खान एवं ऊर्जा

➢ संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन लगे। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर ₹ 63,96,729 व्यय हुए।*

➢ संविधान को जब 26 नवम्बर, 1949 ई. को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।

➢ संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात् 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवम्बर, 1949 ई. को ही प्रवर्तित कर दिया गया; जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी, 1950 ई. को लागू किया गया।

➢ संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी, 1950 ई. को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा 26 जनवरी, 1950 से 1951–52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया।

➢ संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य : 1. इसने मई, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 2. इसने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 3. इसने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्र गान एवं 26 जनवरी, 1950 को राष्ट्र गीत को अपनाया।

नोट : *26 जुलाई, 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की।*

★ **स्रोत :** *वर्ग VII हमारी शासन व्यवस्था, बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लि.*

3. भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना

नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के 42वें संशोधन *(1976 ई.)* द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है—

''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़-संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।''

प्रस्तावना की मुख्य बातें :

- ➢ संविधान की प्रस्तावना को 'संविधान की कुंजी' कहा जाता है।
- ➢ प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता है।
- ➢ प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केन्द्रबिन्दु अथवा स्रोत 'भारत के लोग' ही हैं।
- ➢ प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा—''हम भारत के लोग ...... इस संविधान को'' अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।'' भारतीय लोगों की सर्वोच्च सम्प्रभुता का उद्घोष करते हैं।
- ➢ 'प्रस्तावना' को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं।
- ➢ बेरूबाड़ी यूनियन वाद *(1960)* में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है।
- ➢ बेरूबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य वाद, 1973 ई. में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इसलिए विधायिका *(संसद)* उसमें संशोधन कर सकती है।
- ➢ केशवानन्द भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढाँचा का सिद्धान्त *(Theory of Basic Structure)* दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढाँचा माना।
- ➢ संसद संविधान की मूल ढाँचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है, जिससे मूल ढाँचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है।
- ➢ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ई. के द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'राष्ट्र की अखण्डता' शब्द जोड़े गये।
- ➢ भारत के संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार का न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक), पाँच प्रकार की स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना) एवं दो प्रकार की समानता (प्रतिष्ठा एवं अवसर) का उल्लेख किया गया है।
- ➢ भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है।

नोट : *लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है*

- ➢ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है।
- ➢ भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है।
- ➢ भारत सरकार अधिनियम, 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा।
- ➢ भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है।

4. भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत

- ➢ भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गयी है—

1. संयुक्त राज्य अमेरिका : मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात।
2. ब्रिटेन : संसदात्मक शासन-प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि-निर्माण प्रक्रिया।
3. आयरलैंड : नीति-निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज-सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन।
4. आस्ट्रेलिया : प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केन्द्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार।
5. जर्मनी : आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ।
6. कनाडा : संघात्मक विशेषताएँ, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन।
7. दक्षिण अफ्रीका : संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान।
8. रूस : मौलिक कर्त्तव्यों का प्रावधान।
9. जापान : विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

नोट : *भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 'भारतीय शासन अधिनियम, 1935' का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ई. के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिये गये हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है।*

5. भारतीय संविधान की अनुसूची

- ➢ प्रथम अनुसूची : इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों *(29 राज्य)* एवं संघशासित *(सात)* क्षेत्रों का उल्लेख है।

नोट : *संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।*

- ➢ द्वितीय अनुसूची : इसमें भारतीय राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों *(राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि)* को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
- ➢ तृतीय अनुसूची : इसमें विभिन्न पदाधिकारियों *(मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों)* द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
- ➢ चौथी अनुसूची : इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
- ➢ पाँचवीं अनुसूची : इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।

Education Keeda

➢ छठी अनुसूची : इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।

➢ सातवीं अनुसूची : इसमें केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अन्तर्गत तीन सूचियाँ हैं—संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।

1. संघ सूची : इस सूची में दिये गये विषय पर केन्द्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। *[वर्तमान में 100 विषय] संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि।*

2. राज्य सूची : इस सूची में दिये गये विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केन्द्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अन्तर्गत 66 विषय थे। *[वर्तमान में 61 विषय] राज्य सूची में शामिल कुछ विषय हैं–शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन-स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार न्याय विभाग आदि।*

3. समवर्ती सूची : इसके अन्तर्गत दिये गये विषय पर केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परन्तु कानून के विषय समान होने पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केन्द्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। *[वर्तमान में 52 विषय] समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं: दीवानी और फौजदारी कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि।*

नोट : ***समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है।***

➢ आठवीं अनुसूची : इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं, 1967 ई. *(21वाँ संशोधन)* में सिंधी को, 1992 ई. *(71वाँ संशोधन)* में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को और 2003 ई. *(92वाँ संशोधन)* में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया।

➢ नौवीं अनुसूची : संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 ई. के द्वारा जोड़ी गई। इसके अन्तर्गत राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं।

नोट : ***अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी, 2007 ई. के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है।***

➢ दसवीं अनुसूची : यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 ई. के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।

➢ ग्यारहवीं अनुसूची : यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन *(1993)* के द्वारा जोड़ी गयी है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किये गये हैं।

➢ बारहवीं अनुसूची : यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन *(1993)* के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किये गये हैं।

6. देशी रियासतों का भारत में विलय

➢ रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया।

➢ जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को 'पुलिस कार्रवाई' के माध्यम से और जम्मू-कश्मीर रियासत को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया।

नोट : ***देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार बल्लभभाई पटेल एवं वी.पी. मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।***

7. संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

➢ भारत राज्यों का संघ है, जिसमें सम्प्रति 29 राज्य और 7 केन्द्र-शासित प्रदेश हैं।

➢ अनुच्छेद–1 : 1. भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा। 2. राज्य और उनके राज्य-क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। 3. भारत के राज्यक्षेत्र में अर्जित किये गये अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे।

➢ अनुच्छेद–2 : भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नये राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गयी।

➢ अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है।

भारतीय संविधान के भाग

भाग	अनुच्छेद
1 : संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र	1 से 4
2 : नागरिकता	5 से 11
3 : मौलिक अधिकार	12 से 35
4 : नीति-निर्देशक तत्व	36 से 51
4 क : मूल कर्त्तव्य	51 (क)
5 : संघ	52 से 151
6 : राज्य	152 से 237
7 : पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य	238 *(निरसित)*
8 : संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
9 : पंचायतें	243, 243–क से ण
9 क : नगरपालिकाएँ	243-त से 243–यछ
9 ख : सहकारी समतियाँ	243 यज से यन
10 : अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244, 244–क
11 : संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
12 : वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद	264 से 300–क
13 : भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम	301 से 307
14 : संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
14 क : अधिकरण	323 क, 323 ख
15 : निर्वाचन	324 से 329
16 : कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध	330 से 342
17 : राजभाषा	343 से 351
18 : आपात उपबंध	352 से 360
19 : प्रकीर्ण	361 से 367
20 : संविधान संशोधन	368
21 : अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369 से 392
22 : संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 से 395

8. राज्यों का पुनर्गठन

➢ भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जाँच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया।

Education Keeda

➢ धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए काँग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैय्या की एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को खारिज कर दिया।

नये राज्यों का गठन वर्ष

राज्य	गठन वर्ष
आन्ध्र प्रदेश	1 अक्टूबर, 1953
महाराष्ट्र	1 मई, 1960
गुजरात	1 मई, 1960
नगालैंड	1 दिसम्बर, 1963
हरियाणा	1 नवम्बर, 1966
हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971
मेघालय	21 जनवरी, 1972
मणिपुर	21 जनवरी, 1972
त्रिपुरा	21 जनवरी, 1972
सिक्किम	26 अप्रैल, 1975
मिजोरम	20 फरवरी, 1987
अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987
गोवा *(25वाँ)*	30 मई, 1987
छत्तीसगढ़ *(26वाँ)*	1 नवम्बर, 2000
उत्तराखंड *(27वाँ)*	9 नवम्बर, 2000
झारखंड *(28वाँ)*	15 नवम्बर, 2000
तेलंगाना *(29वाँ)*	2 जून, 2014

➢ नेहरू, पटेल एवं सीतारमैय्या *(J. V. P. समिति)* समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगू-भाषियों ने पोटी श्री रामुल्लू के नेतृत्व में आन्दोलन प्रारंभ हुआ।

➢ 58* दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसम्बर, 1952 ई. को रामुल्लू की मृत्यु हो गयी।

➢ रामुल्लू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगू भाषियों के लिए पृथक् आन्ध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। 1 अक्टूबर, 1953 ई. को आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आन्ध्रप्रदेश की राजधानी कर्नूल थी।

➢ राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे; इसके अन्य सदस्य पं. हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के. एम. पणिक्कर थे।

➢ राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई, 1956 ई. में पास किया गया। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य एवं 6 केन्द्रशासित प्रदेश स्थापित किये गये। *(राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था।)*

➢ नवम्बर, 1954 ई. को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियाँ पांडिचेरी, यनाम, चन्द्रनगर और केरीकल को भारत को सौंप दिया; 28 मई, 1956 ई. को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गये। इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया।

➢ भारत सरकार ने 18 दिसम्बर, 1961 ई. को गोवा, दमन व दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। बारहवें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया।

➢ वर्तमान समय में भारत में 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है।

➢ क्षेत्रीय परिषद् : भारत में पाँच क्षेत्रीय परिषद् हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय गृहमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केन्द्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद् का अध्यक्ष होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। यह केन्द्र-राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

➢ क्षेत्रीय परिषद् को 1956 ई. के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, अतः ये सांविधिक निकाय है किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है।

1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् : पंजाब, हरियाणा, हि. प्र., राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, राज्य तथा चण्डीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।
2. मध्य क्षेत्रीय परिषद् : उत्तर प्र., मध्य प्र., उत्तराखण्ड एवं छत्तीसगढ़।
3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् : बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम।
4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् : गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा राज्य, दमन-दीव एवं दादर तथा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् : आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र।

भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद्

क्षेत्रीय परिषद्	मुख्यालय
1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्	नई दिल्ली
2. मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद्	इलाहाबाद
3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्	कोलकाता
4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्	मुम्बई
5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्	चेन्नई

6. पूर्वोत्तर परिषद् : इसका गठन संसदीय अधिनियम-पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम–1971 द्वारा किया गया है। यह 8 अगस्त, 1972 में अस्तित्व में आया। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम सम्मलित है। 1994 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद का आठवाँ सदस्य बना। इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही हैं जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं।

9. भारतीय नागरिकता *(भाग–2, अनुच्छेद 5 से 11)*

➢ भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।

➢ भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 ई. के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है—

1. जन्म से : प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात् 26 जनवरी, 1950 ई. को या उसके पश्चात् भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद—राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे।
2. वंश-परम्परा द्वारा नागरिकता : भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी, 1950 ई. के पश्चात् जन्म लेनेवाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जायेगा, यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।

नोट : *माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है।*

3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता : भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
4. पंजीकरण द्वारा नागरिकता : निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं—
   (a) वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना-पत्र देने की तिथि से छह माह पूर्व से भारत में रह रहे हों;
   (b) वे भारतीय, जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हों;
   (c) वे स्त्रियाँ, जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी;
   (d) भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे;
   (e) राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक, जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों। आवेदन-पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
5. भूमि-विस्तार द्वारा : यदि किसी नये भू-भाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

➢ भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 : इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1955 ई. में निम्न संशोधन किये गये हैं—

1. अब भारत में जनमे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जायेगी, जिसके माता-पिता में से एक भारत का नागरिक हो।
2. जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम-से-कम पाँच वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि छह माह थी।

* *NCERT Class VIII भाग–II P. 166*

Education Keeda

3. देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जायेगी, जबकि संबंधित व्यक्ति कम-से-कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 ई. जम्मू-कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा।

➢ भारतीय नागरिकता का अन्त : भारतीय नागरिकता का अन्त निम्न प्रकार से हो सकता है—
1. नागरिकता का परित्याग करने से। 2. किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। 3. सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर।

➢ *जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गयी है—*
1. राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। 2. राज्य में अचल सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में। 3. राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। 4. छात्रवृत्तियाँ अथवा इसी प्रकार की सहायता, जो राज्य सरकार प्रदान करे।

10. मौलिक अधिकार

➢ इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

➢ इसका वर्णन संविधान के भाग–3 में *(अनुच्छेद-12 से अनुच्छेद-35)* है। संविधान के भाग–3 को भारत का अधिकार पत्र *(Magnacarta)* कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है।

➢ मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान *(अनु. 352)* जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।

➢ मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन *(1978 ई.)* के द्वारा सम्पत्ति का अधिकार *(अनुच्छेद-31 एवं 19क)* को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद-300(a) के अन्तर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।

नोट : *1931 ई. में कराची अधिवेशन (अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल) में कांग्रेस ने घोषणा-पत्र में मूल अधिकारों की माँग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था।*

मौलिक अधिकार	
1. समता या समानता का अधिकार	अनुच्छेद-14 से 18
2. स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद-19 से 22
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार	अुनच्छेद-23 से 24
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद-25 से 28
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	अनुच्छेद-29 से 30
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार	अनुच्छेद-32

1. समता या समानता का अधिकार

➢ अनुच्छेद-14 *(विधि के समक्ष समता)* : इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एकसमान कानून बनायेगा तथा उन पर एकसमान लागू करेगा।

➢ अनुच्छेद-15 *(धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध)* : राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म-स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जायेगा।

➢ अनुच्छेद-16 *(लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता)* : राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग।

➢ अनुच्छेद-17 *(अस्पृश्यता का अन्त)* : अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

➢ अनुच्छेद-18 *(उपाधियों का अन्त)* : सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाए अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जायेगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।

नोट : *भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद-18 के तहत ही दिये जाते हैं।*

2. स्वतंत्रता का अधिकार

➢ अनुच्छेद-19 : मूल संविधान में सात तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ छह हैं *(अनुच्छेद-19 (f) सम्पत्ति का अधिकार, 44वाँ संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया)*।

छः तरह की स्वतंत्रता का अधिकार	
1. अनुच्छेद-19 (a)	बोलने की स्वतंत्रता।
2. अनुच्छेद-19 (b)	शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता।
3. अनुच्छेद-19 (c)	संघ बनाने की स्वतंत्रता।
4. अनुच्छेद-19 (d)	देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता।
5. अनुच्छेद-19 (e)	देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। *(अपवाद : जम्मू-कश्मीर)*
6. अनुच्छेद-19 (g)	कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता।

नोट : *प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद-19 (a) में ही है।*

➢ अनुच्छेद-20 *(अपराधों के लिए दोष-सिद्धि के संबंध में संरक्षण)* : इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है—1. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। 2. अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। 3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

➢ अनुच्छेद-21 *(प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण)* : किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

नोट : *अनुच्छेद-21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्यपीठ नई दिल्ली में है जबकि चार अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है।*

➢ अनुच्छेद-21(क) : राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य, विधि द्वारा अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। *(86वां संशोधन-2002)*।

➢ अनुच्छेद-22 *(कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण)* : अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है—1. हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 2. 24 घंटे के अंदर *(आने-जाने के समय को छोड़कर)* उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा, 3. उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा।

➢ निवारक निरोध : भारतीय संविधान के अनुच्छेद-22 के खंड–3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दण्ड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाये रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब—

1. सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है, तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है।

2. इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किये जायेंगे, किन्तु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जायेगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है।
3. निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए।

निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनायी गयी विधियाँ

1. निवारक निरोध अधिनियम, 1950 : भारत की संसद ने 26 फरवरी, 1950 ई. को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल, 1951 ई. को समाप्त हो जाना था, किन्तु समय-समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसम्बर, 1971 ई. को समाप्त हुआ।
2. आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 *(MISA)* : 44वें संवैधानिक संशोधन *(1979)* इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल, 1979 ई. में यह समाप्त हो गया।
3. विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम, 1974 : पहले इसमें तस्कारों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई, 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 : जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया।
5. आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियाँ निरोधक कानून *(टाडा)* : निवारक निरोध व्यवस्था के अन्तर्गत अबतक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई, 1995 ई. को इसे समाप्त कर दिया गया।
6. पोटो *(Prevention of Terrorism Ordinance, 2001)*: इसे 25 अक्टूबर, 2001 को लागू किया गया। 'पोटो' टाडा का ही एक रूप है। इसके अन्तर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबन्धित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किन्तु बिना आरोप-पत्र के तीन माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के तीन माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च, 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा *(Prevention of Terrorism Act)* हो गया। 21 सितम्बर, 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

➢ अनुच्छेद-23 *(मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध)* : इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है—

नोट : *जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।*

➢ अनुच्छेद-24 *(बालकों के नियोजन का प्रतिषेध)* : 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

➢ अनुच्छेद 25 *(अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता)* : कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार-प्रसार कर सकता है।

➢ अनुच्छेद-26 *(धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता)* : व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि-सम्मत सम्पत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है।

➢ अनुच्छेद-27 : राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है।

➢ अनुच्छेद-28 : राज्य-विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी। ऐसे शिक्षण-संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।

5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार

➢ अनुच्छेद-29 *(अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण)* : कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जायेगा।

नोट : *वर्तमान में छः समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।*

➢ अनुच्छेद-30 *(शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार)* : कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार

➢ 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' को डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है।

➢ अनुच्छेद-32 : इसके अन्तर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पाँच तरह के समादेश *(writ)* निकालने की शक्ति प्रदान की गयी है—1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण *(habeas corpus)*, 2. परमादेश *(mandamus)*, 3. प्रतिषेध-लेख *(prohibition)*, 4. उत्प्रेषण *(certiorari)*, 5. अधिकार पृच्छा-लेख *(quo-warranto)*।

1. बन्दी-प्रत्यक्षीकरण : यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करनेवाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाये गये व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अन्दर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके।
2. परमादेश : परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है।
3. प्रतिषेध-लेख : यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्द्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार-क्षेत्र के बाहर है।
4. उत्प्रेषण : इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लम्बित मुकदमों के न्याय-निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे।
5. अधिकार पृच्छा-लेख : जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार-पृच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता है।

मौलिक अधिकार में संशोधन

1. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य *(1967 ई.)* के निर्णय से पूर्व दिये गये निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद-368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था।

Education Keeda

2. सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद *(1967 ई.)* के निर्णय में अनुच्छेद-368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। अर्थात् संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
3. 24वें संविधान संशोधन *(1971 ई.)* द्वारा अनुच्छेद-13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद-368 में दी गयी प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
4. केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गयी अर्थात् गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।
5. 42वें संविधान संशोधन *(1976 ई.)* द्वारा अनुच्छेद-368 में खंड 4 और 5 जोड़े गये तथा यह व्यवस्था की गयी कि इस प्रकार किये गये संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
6. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ *(1980 ई.)* के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया।

11. राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत

➢ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त का वर्णन संविधान के भाग–4 में *(अनुच्छेद 36 से 51 तक)* किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। किन्तु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति-निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है।

➢ भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य की नीति-निर्देशक तत्वों में किया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है।

नोट : *भारत सरकार अधिनियम, 1935 में अंतर्विष्ट 'अनुदेश-प्रपत्र' को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत् ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था।*

राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त निम्न हैं

➢ अनुच्छेद-38 : राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।

➢ अनुच्छेद-39 (क) : समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है।

➢ अनुच्छेद-39 (ख) : सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके।

➢ अनुच्छेद-39 (ग) : धन का समान वितरण।

➢ अनुच्छेद-40 : ग्राम पंचायतों का संगठन।

➢ अनुच्छेद-41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

नोट : *15 अगस्त, 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें पाँच योजनाएँ शामिल हैं—*

1. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
2. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
3. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
4. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना
5. अन्नपूर्णा योजना

➢ अनुच्छेद-42 : काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबन्ध।

➢ अनुच्छेद-43 : कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन।

➢ अनुच्छेद-44 : नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।

➢ अनुच्छेद-46 : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ-संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

➢ अनुच्छेद-47 : पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य।

➢ अनुच्छेद-48 : कृषि एवं पशुपालन का संगठन।

➢ अनुच्छेद-48 (क) : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा।

➢ अनुच्छेद-49 : राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण।

➢ अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण।

➢ अनुच्छेद 51 : अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।

➢ उपर्युक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं, जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धान्त के रूप में कार्य करते हैं; जैसे—

➢ अनुच्छेद 350 (क) : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना।

➢ अनुच्छेद 351 : हिन्दी को प्रोत्साहन देना।

नोट : *राज्य का नीति-निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जायेगी यह कथन K.T. शाह का है।*

मौलिक अधिकार एवं नीति-निर्देशक सिद्धान्त में अन्तर

क्र	नीति निर्देशक सिद्धांत	मौलिक अधिकार
1.	यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।	यह यू. एस. ए. के संविधान से लिया गया है।
2.	इसका वर्णन संविधान के भाग–4 में किया गया है।	इसका वर्णन संविधान के भाग–3 में किया गया है।
3.	इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है।	इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं।
4.	यह समाज की भलाई के लिए है।	यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है।
5.	इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है।	मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है।
6.	यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है।	यह सरकार के महत्व को घटाता है।
7.	यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है।	यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है।

12. मौलिक कर्तव्य

➢ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन *(1976 ई.)* के द्वारा मौलिक कर्त्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है।

➢ इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद-51(क) के तहत रखा गया।

मौलिक कर्त्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है :

1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र-ध्वज और राष्ट्र-गान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
4. देश की रक्षा करे।

Education Keeda

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे।
11. माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना *(86वाँ संशोधन)*।

13. संघीय कार्यपालिका

➢ भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। *(अनुच्छेद–53)*

➢ भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रि परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रीमंडल वास्तविक कार्यपालिका है।

राष्ट्रपति : *(अनुच्छेद–52)*

➢ राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है।

➢ राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है।

➢ राष्ट्रपति-पद की योग्यता : संविधान के अनुच्छेद-58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा, जब वह—1. भारत का नागरिक हो। 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किये जाने योग्य हो। 4. चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो।

नोट : *यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जायेगा।*

➢ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक-मंडल *(अनु.-54)* : इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है।

➢ राष्ट्रपति-पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक-मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं।

➢ एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है।

➢ राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है *(अनुच्छेद–55)*।

➢ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किये गये कार्य अवैध नहीं होते हैं।

➢ राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है *(अनुच्छेद–56)*।

➢ पद-धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है।

नोट : *अनुच्छेद-77 (1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और अनु.-77 (3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा।*

भारत के राष्ट्रपति

क्र.	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	26.01.1950 – 13.05.1962
2.	डॉ. एस. राधाकृष्णन	13.05.1962 – 13.05.1967
3.	डॉ. जाकिर हुसैन	13.05.1967 – 03.05.1969
4.	वी. वी. गिरि	24.08.1969 – 24.08.1974
5.	फखरूद्दीन अली अहमद	24.08.1974 – 11.02.1977
6.	नीलम संजीव रेड्डी	25.07.1977 – 25.07.1982
7.	ज्ञानी जैल सिंह	25.07.1982 – 25.07.1987
8.	आर. वेंकटरमण	25.07.1987 – 25.07.1992
9.	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	25.07.1992 – 25.07.1997
10.	के. आर. नारायण	25.07.1997 – 25.07.2002
11.	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	25.07.2002 – 25.07.2007
12.	प्रतिभा पाटिल	25.07.2007 – 25.07.2012
13.	प्रणव मुखर्जी	25.07.2012 – 25.07.2017
14.	राम नाथ कोविंद	25.07.2017 – —

नोट : *वी.वी. गिरि 3 मई, 1969 से 20 जुलाई, 1969 ई. तक, न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 ई. तक एवं बी. डी. जत्ती 11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977 ई. तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे।*

➢ राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पाँच वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है—

1. उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा; यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित किया जायेगा जो इसकी सूचना लोक सभा के अध्यक्ष को देगा। [अनु. 56 (2)]
2. महाभियोग द्वारा हटाये जाने पर *(अनुच्छेद-61)*। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनुच्छेद-61(1) में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण।

➢ राष्ट्रपति पर महाभियोग *(अनुच्छेद–61)* : राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाये, जिस पर उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन, जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जायेगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाये गये आरोपों की जाँच करेगा या करायेगा और ऐसी जाँच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जायेगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा।

➢ राष्ट्रपति की रिक्ति को छह महीने के अन्दर भरना होता है।

➢ जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि *(पाँच वर्ष)* की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जायेगा *[अनुच्छेद-62(1)]*। किन्तु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, तो 'राज अंतराल' न होने पाए इसीलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है *[अनुच्छेद-56(1) ग]*। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।

➢ अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन *(अनुच्छेद-70)* : जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद-70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969 ई. पारित किया है जो यह उपबन्धित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को सम्पादित करेगा।

Education Keeda

राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते :

➢ राष्ट्रपति का मासिक वेतन पाँच लाख रुपया है।
➢ राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है।
➢ राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास-स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।
➢ राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है।
➢ राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार : राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है—1. भारत का प्रधानमंत्री, 2. प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों, 3. सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, 4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 5. राज्यों के राज्यपाल, 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, 7. भारत के महान्यायवादी, 8. राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद् के सदस्य, 9. संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, 10. संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, 11. वित्त आयोग के सदस्यों, 12. भाषा आयोग के सदस्यों, 13. पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, 14. अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, 15. भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों, 16. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि।
2. विधायी शक्तियाँ : राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं—1. संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। 2. संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। 3. लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति। 4. संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। 5. संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है—(a) नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक (b) धन विधेयक *[अनुच्छेद-110]* (c) संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक *[अनुच्छेद-117(3)]* (d) ऐसे कराधान पर, जिसमें राज्य-हित जुड़े हैं, प्रभाव डालने वाले विधेयक। (e) राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन लगाने वाले विधेयक। *[अनुच्छेद-304]*6. यदि किसी साधारण बिधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है *(अनुच्छेद-108)*।

नोट : *किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं [अनुच्छेद 113 (3)]।*

3. संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार : जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है *(अनु. 331)*। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है *(अनु. 80(3))*।
4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति : संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के छह सप्ताह तक रहता है। परन्तु, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता, जब दोनों सदन सत्र में होते हैं, तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है।
5. सैनिक शक्ति : सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है, किन्तु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है।
6. राजनैतिक शक्ति : दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है।
7. क्षमादान की शक्ति : संविधान के अनुच्छेद-72 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा करने, उसका प्रविलम्बन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दण्ड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दण्ड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे मृत्युदंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार करना। प्रविलंबन में किसी दंड पर *(विशेषकर मृत्युदंड)* रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना।

नोट : *जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो, तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती।*

8. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ : आपातकाल से संबंधित उपबन्ध भारतीय संविधान के भाग–18 के अनुच्छेद-352 से 360 के अन्तर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद् के परामर्श से राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपात लागू कर सकता है—(a) युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात *(अनुच्छेद-352)*, (b) राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात *(अनुच्छेद-356) (अर्थात् राष्ट्रपति शासन)*, (c) वित्तीय आपात *(अनुच्छेद-360) (न्यूनतम अवधि–दो माह)*।
9. राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।
10. राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद-111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है, तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किये जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है, 1986 ई. में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। तीन वर्ष पश्चात्, 1989 ई. में अगले राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया।

➢ भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है।
➢ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
➢ डॉ. एस. राधाकृष्णन लगातार दो बार उपराष्ट्रपति तथा एक बार राष्ट्रपति रहे।
➢ केवल वी. वी. गिरि के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी।
➢ केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गये, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
➢ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है।

Education Keeda

उपराष्ट्रपति *(अनुच्छेद-63)* :

- संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।
- भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है *(अनुच्छेद-64 एवं अनुच्छेद-89)*।
- उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किन्तु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है।
- योग्यता : कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा, जब वह—1. भारत का नागरिक हो। 2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 3. राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। 4. निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। 5. वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।
- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल [अनुच्छेद-66 (1)] : उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है।

नोट : *संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचकगण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं।*

भारत के उपराष्ट्रपति

क्र.	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ. एस. राधाकृष्णन*	1952 – 1962
2.	डॉ. जाकिर हुसैन	1962 – 1967
3.	वी. वी. गिरि	1967 – 1969
4.	गोपाल स्वरूप पाठक	1969 – 1974
5.	बी. डी. जत्ती	1974 – 1979
6.	न्यायमूर्ति मो. हिदायतुल्ला	1979 – 1984
7.	आर. वेंकटरमण	1984 – 1987
8.	डॉ. शंकरदयाल शर्मा	1987 – 1992
9.	के. आर. नारायणन	1992 – 1997
10.	कृष्णकांत	1997 – 2002
11.	भैरो सिंह शेखावत	2002 – 10.08.2007
12.	हामिद अंसारी	11.08.2007 – 11.08.2017
13.	एम. वेंकैया नायडू	11.08.2017 – —

★ *उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉ. एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे।*

- उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।
- उपराष्ट्रपति की पदावधि *(अनुच्छेद-67)* : उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा; परन्तु

(a) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(b) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है; किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हों;

(c) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

- उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किये गये कार्य अवैध नहीं होते हैं।
- राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है *(अनु.-65)*। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि छह महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा।

नोट : *जिस किसी कालावधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।*

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्

- संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद् होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।
- संविधान के अनुच्छेद-75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% *(पन्द्रह प्रतिशत)* से अधिक नहीं होगी *(91 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-2003)*।
- *अनुच्छेद-75 (2)* के अनुसार मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे और *अनुच्छेद-75 (3)* के अनुसार मंत्री परिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।
- पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है [*अनुच्छेद-75 (4)*]।
- मंत्रिपरिषद् का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद-सदस्य नहीं हो, तो उसे छह महीने के अन्दर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। [*अनुच्छेद-75 (5)*]
- सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।
- यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रीमंडल को त्यागपत्र देना होता है।
- मंत्री तीन प्रकार के होते हैं : कैबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री एवं उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रीमंडल का निर्माण होता है।
- प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोक सभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है।
- प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
- प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद् राष्ट्रीय एकता परिषद्, अंतर्राज्यीय परिषद्, तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का अध्यक्ष होता है।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद् के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है *(अनुच्छेद-78)*।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों, जैसे—भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है।

Education Keeda

➢ प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद् बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रीमंडल को बर्खास्त कर सकता है।

नोट : *प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद् स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है।*

➢ प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री जे.एल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे।

➢ देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी बनीं। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो दो अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं।

➢ पहली बार इन्दिरा गाँधी प्रधानमंत्री बनीं तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं।

➢ चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए।

➢ एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए *(मात्र 13 दिन)*।

भारत के प्रधानमंत्री

क्र.	नाम	कार्यकाल
1.	जवाहरलाल नेहरू[1]	15.08.1947 – 27.05.1964
2.	लालबहादुर शास्त्री	09.06.1964 – 11.01.1966
3.	इंदिरा गांधी	24.01.1966 – 24.03.1977
4.	मोरारजी देसाई[2]	24.03.1977 – 28.07.1979
5.	चौधरी चरण सिंह[3]	28.07.1979 – 14.01.1980
6.	इंदिरा गांधी	14.01.1980 – 31.10.1984
7.	राजीव गांधी	31.10.1984 – 02.12.1989
8.	विश्वनाथ प्रताप सिंह[4]	02.12.1989 – 10.11.1990
9.	चन्द्रशेखर	10.11.1990 – 21.06.1991
10.	पी. वी. नरसिम्हाराव[5]	21.06.1991 – 16.05.1996
11.	अटल बिहारी बाजपेयी[6]	16.05.1996 – 01.06.1996
12.	एच. डी. देवगौड़ा[7]	01.06.1996 – 21.04.1997
13.	आई. के. गुजराल	21.04.1997 – 19.03.1998
14.	अटल बिहारी बाजपेयी	19.03.1998 – 13.10.1999
15.	अटल बिहारी बाजपेयी	13.10.1999 – 22.05.2004
16.	डॉ. मनमोहन सिंह	22.05.2004 – 26.05.2014
17.	नरेन्द्र मोदी	26.05.2014 – ---

1. सबसे लंबा कार्यकाल *(16 वर्ष 9 महीना 12 दिन)*
2. प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
3. लोकसभा का सामना न करनेवाले प्रधान मंत्री
4. अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाये जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
5. पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं
6. सबसे छोटा कार्यकाल *(13 दिन)*
7. पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य

★ *तीन प्रधानमंत्रियों (जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गाँधी) की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गयी थी।*

★ *लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी, 1966 ई. को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी।*

★ *मोरार जी 'देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गाँधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने।*

★ *गुलजारी लाल नंदा 27 मई, 1964 से 09 जून, 1964 ई. तक एवं 11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी 1966 ई. तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।*

★ भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल थे।

➢ कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा, जो लगभग 32 वर्ष केन्द्रीय मंत्रीमंडल में रहे।

➢ सबसे लम्बी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालनेवाली केन्द्रीय मंत्री राजकुमारी अमृतकौर थी।

मंत्रीमंडल सचिवालय

➢ मंत्रीमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम, 1961 के अन्तर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है।

➢ कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है।

➢ मंत्रीमंडल सचिवालय मंत्रीमंडल बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करता है तथा मंत्रीमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

नोट : *मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आबंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है न कि मंत्रीमंडल सचिवालय के द्वारा।*

14. संघीय संसद

➢ भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है *(अनुच्छेद-79)*।

राज्यसभा *(उच्च सदन)*

➢ राज्यसभा के सदस्यों की अधिक-से-अधिक संख्या 250 हो सकती है। *(राज्य सभा की संरचना अनुच्छेद 80)*

➢ वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

➢ राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र-सीमा 30 वर्ष है।

➢ राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष का होता है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवा-निवृत्त हो जाते हैं *[अनुच्छेद-83 (1)]*।

राज्यसभा में सदस्यों की संख्या

राज्य	संख्या	राज्य	संख्या
उत्तर प्रदेश	31	झारखंड	6
महाराष्ट्र	19	छत्तीसगढ़	5
तमिलनाडु	18	हरियाणा	5
बिहार	16	जम्मू-कश्मीर	4
पश्चिम बंगाल	16	हिमाचल प्रदेश	3
कर्नाटक	12	उत्तराखंड	3
आन्ध्र प्रदेश	11	नगालैंड	1
मध्य प्रदेश	11	मिजोरम	1
गुजरात	11	मेघालय	1
ओडिशा	10	मणिपुर	1
राजस्थान	10	त्रिपुरा	1
केरल	9	सिक्किम	1
पंजाब	7	अरुणाचल प्रदेश	1
असम	7	गोवा	1
तेलंगाना	7		
संघीय क्षेत्र			
दिल्ली	3	पुदुचेरी	1

राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री एस. वी. कृष्णामूर्ति राव

राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति *(अनुच्छेद-89)* **:**

1. भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
2. राज्यसभा यथाशीघ्र, अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब-जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।

Education Keeda

उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना *(अनुच्छेद-90)* :

1. उपसभापति यदि राज्य सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा;
2. सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा;
3. राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा परन्तु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम चौदह दिन पहले देनी होगी।

नोट : *जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन नहीं होगा (अनुच्छेद-92)।*

➢ मंत्रिपरिषद् राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।

➢ अनुच्छेद-249 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है लेकिन यदि राज्य सभा चाहे तो हर बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

➢ केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार है *(अनुच्छेद-312)*।

➢ धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा *[अनु.-109 (1)]*। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है।

राज्यसभा सदस्य, जो प्रधानमंत्री बने	
इंदिरा गांधी	1966–67
एच. डी. देवगौड़ा	1996–97
आई. के. गुजराल	1997–98
डॉ. मनमोहन सिंह	2004–....

➢ राष्ट्रपति वर्ष में कम-से-कम दो बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा के एक सत्र की अन्तिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

➢ राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल, 1952 ई. को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी।

संसद भवन

यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियन्स एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने 1912-13 में तैयार किया था। संसद भवन की नींव 12.02.1921 को रखी गयी थी। संरचना की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तम्भ पर टिकी हुई है।

नोट : *राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है : अंडमान-निकोबार, चण्डीगढ़, दादर व नागर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप का।*

लोकसभा *(लोक सभा की संरचना अनुच्छेद-81)* :

➢ लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात् यथाशीघ्र अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है *(अनु. 93)*।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले	
1. डी. डी. आइजनहॉवर	1959
2. जिमी कार्टर	1978
3. बिल क्लिंटन	2000
4. बराक ओबामा	2010

अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुँचे	
1. रिचर्ड निक्सन	1969
2. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश	2006

➢ मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य-संख्या 500 निश्चित की गयी है। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य-संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकते हैं एवं राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय वर्ग के अधिकतम दो सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य-संख्या 545 है। इन सदस्यों में 530 सदस्य 28 राज्यों से 13 सदस्य 7 केन्द्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं व दो सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं *(अनु. 331)*।

➢ नये परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किये गये हैं *(अनुच्छेद-330)*।

➢ 2001 ई. में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ई. तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है।

➢ लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार *(18 वर्ष)* के आधार पर होता है।

➢ 61वें संविधान संशोधन *(1989 ई.)* के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है।

➢ लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए, राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है *(अनु.-330, 332)*। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किन्तु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन *(2009)* द्वारा अनु.-334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

➢ सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र—बाहरी दिल्ली *(मतदाता-33,68,399)*।

➢ सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र—लक्षद्वीप *(मतदाता–39,033)*।

➢ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र—लद्दाख *(क्षेत्रफल 1,73,266.37 km^2)*।

➢ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र—चाँदनी चौक, दिल्ली *(10.59 km^2)*।

लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएँ निम्न हैं :

1. वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। 2. उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। 3. भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो। 4. वह पागल व दिवालिया न हो।

लोक सभा में सदस्यों की संख्या

राज्य	संख्या
उत्तर प्रदेश	80
महाराष्ट्र	48
पश्चिम बंगाल	42
बिहार	40
तमिलनाडु	39
मध्यप्रदेश	29
कर्नाटक	28
गुजरात	26
राजस्थान	25
आन्ध्रप्रदेश	25
ओडिशा	21
केरल	20
तेलंगाना	17
झारखंड	14
असम	14
पंजाब	13
छत्तीसगढ़	11
हरियाणा	10
जम्मू-कश्मीर	6
उत्तराखंड	5
हिमाचल प्रदेश	4
मेघालय	2
अरुणाचल प्रदेश	2
गोवा	2
मणिपुर	2
त्रिपुरा	2
सिक्किम	1
नगालैंड	1
मिजोरम	1
संघीय क्षेत्र	
दिल्ली	7
पुदुचेरी	1
चण्डीगढ़	1
दादर व नागर हवेली	1
अंडमान निकोबार	1
लक्षद्वीप	1
दमन एवं दीव	1

Education Keeda

- ➢ लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है *[अनुच्छेद-75 (3)]*।
- ➢ प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, ऐसा अबतक 8 बार *(1970, 1977, 1979, 1984, नवम्बर 1989 , मार्च 1991, दिसम्बर 1997 तथा अप्रैल 1999)* किया गया है।
- ➢ आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात् उसका विस्तार किसी भी दशा में छः महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 ई. में लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
- ➢ लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाये और स्थगित किये जाते हैं। लोकसभा की दो बैठकों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।
- ➢ जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवाँ भाग होगी *[अनुच्छेद-100 (3)]*। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है। *[अनुच्छेद-100 (4)]* लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग *(55 सदस्य)* होता है।
- ➢ संविधान के अनुच्छेद-108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न तीन स्थितियों में बुलाया जा सकता है—विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाये; तब यदि 1. दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, 2. विधेयक पर किये जानेवाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अन्तिम रूप से असहमत हो गये हैं, 3. दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किये बिना 6 मास से अधिक बीत गये हों।
- ➢ सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात् लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी, अनुच्छेद-108 (5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा।

नोट : *अनुच्छेद-108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग-अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद-368 (2) द्वारा शासित होता है।*

- ➢ राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा *[अनुच्छेद-118 (3)]*।
- ➢ संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है *[अनु.-118 (4)]*। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि, वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा, जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है *[अनु.-108(4)]*।
- ➢ संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया के अनुसार होती है।
- ➢ संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत यानी समाप्त *(lapse)* नहीं होता है *[अनुच्छेद-107 (3)]*।
- ➢ राज्यसभा में लंबित विधेयक, जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता है *[अनु.-107 (4)]*।
- ➢ कोई विधेयक, जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्य सभा में लंबित है अनुच्छेद-108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा *[अनुच्छेद-107 (5)]*।
- ➢ लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है।
- ➢ धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अन्तिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है।
- ➢ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम-से-कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है।

नोट : *भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है।*

लोकसभा के पदाधिकारी : *अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष*

- ➢ संविधान के अनुच्छेद-93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी।
- ➢ प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है।
- ➢ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग-पत्र देता है।
- ➢ लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है।
- ➢ चौदह दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है।
- ➢ लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है।
- ➢ लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति, पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार

1. सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना।
2. किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला 'कार्य स्थगन प्रस्ताव' अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है।
3. वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है।
4. संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना।
5. विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है।
6. संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र-व्यवहार करना तथा कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं; इसका निर्णय करना।
7. अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

Education Keeda

8. यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है, तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती।

लोकसभा के अध्यक्ष

लोकसभा	अध्यक्ष
पहली	गणेश वासुदेव मावलंकर, एम. अनंतशयनम आयंगर
दूसरी	एम. अनंतशयनम आयंगर
तीसरी	हुकम सिंह
चौथी	नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो
पाँचवीं	गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, बलिराम भगत
छठी	नीलम संजीव रेड्डी, के एस हेगड़े
सातवीं	बलराम जाखड़
आठवीं	बलराम जाखड़
नौवीं	रवि राय
दसवीं	शिवराज वी. पाटिल
ग्यारहवीं	पी. ए. संगमा
बारहवीं	जी. एम. सी. बालयोगी
तेरहवीं	जी. एम. सी. बालयोगी, मनोहर गजानंद जोशी
चौदहवीं	सोमनाथ चटर्जी
पन्द्रहवीं	मीरा कुमार
सोलहवीं	सुमित्रा महाजन
सत्रहवीं	ओम बिड़ला

➢ लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है व उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएँ प्राप्त होती हैं।

नोट : *न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है।*

➢ प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक रहा।

➢ प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जी. वी. मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंतशयनम थे।

संसद एवं संसद-सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें :

➢ सभापति या अध्यक्ष, या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा *[अनु.-100 (1)]*।

➢ संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी *[अनु.-100 (2)]*।

➢ संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, बिना अध्यक्ष के अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को सायं 4 बजे ही लाया जाता है।

➢ किसी संसद-सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है।

➢ एक समय एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है।

➢ यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है *[अनु.-101 (4)]*।

➢ संसद-सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद के 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामले अर्थात् निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है।

➢ भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गयी है।

➢ यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिये बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे ₹ 500 दण्डस्वरूप देने होंगे।

➢ न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (3) के तहत यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा।

नोट : *संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद-348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा; परंतु राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिन्दी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा [अनुच्छेद-120 (1)]।*

15. भारत का महान्यायवादी *(अनुच्छेद-76)*

➢ महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है।

➢ भारत का महान्यायवादी न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रीमंडल का सदस्य होता है। लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं है *(अनुच्छेद-88)*।

➢ महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है।

➢ महान्यायवादी बनने के लिए वही अर्हताएँ होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं।

➢ महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।

➢ महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किये जाते हैं।

राज्य का महाधिवक्ता

अनुछेद-165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।

महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यपाल वैसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त बना रहता है।

महाधिवक्ता के कार्य : 1. राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गये हों। 2. विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गये हों। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में, जहाँ के लिए वह अधिकृत है, में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है। महाधिवक्ता को वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं।

16. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक *(अनु.-148 से 151)*

➢ नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किन्तु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकेगा जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्थता होगा। यानी इसे हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगी।

➢ इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा।

➢ वह सेवा-निवृत्ति के पश्चात् भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता।

➢ नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है।

➢ भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किये गये सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं यह इस बात की संपरीक्षा करता है।

➢ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा।

Education Keeda

➢ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केन्द्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं *[अनुच्छेद-151 (1)]*।

➢ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधान-मंडल के पटल पर रखते हैं।

➢ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है—विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जाँच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है।

नोट : *नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखां समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।*

17. भारत की संचित निधि *[अनुच्छेद-266 (1)]*

➢ भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व *(जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि)* की एक निधि है जिसे 'भारत की संचित निधि' कहा जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिये जाने के पश्चात् ही निकाली या व्यय की जा सकती है अन्यथा नहीं *[अनु.-114 (3)]*। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ *(1 अप्रैल)* से पहले पारित करा लेती है किन्तु कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया एक अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखानुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है।

नोट : *चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन होने तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखानुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट, सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे नई सरकार अपनी हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है।*

➢ भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न हैं–1. राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय, 2. राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, 3. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। 4. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन, 5. ऐसा ऋण-भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, 6. भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गयी डिक्री या पंचाट, 7. कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करें।

भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियाँ

1. संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना : लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा।
2. विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना : भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए।
3. अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान : अनुपूरक अनुदानों एवं लेखानुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की माँग को उस समय सरकार के द्वारा लोक सभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इसी प्रकार, जब एक अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक के खर्च का प्रबंध करती है, जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है।
4. संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना : संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ-साथ पारित किया जाता है।

18. भारत की आकस्मिकता निधि *(अनुच्छेद-267)*

➢ संविधान का *(अनुच्छेद-267)* संसद और राज्य विधान मंडल को, यथास्थिति, भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है।

➢ यह निधि, भारत की आकस्मिकता अधिनियम, 1950 ई. द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है।

➢ जब तक विधान मंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय-समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधान मंडल विनियमित करेगा।

19. संविधान में संशोधन

➢ संविधान के अनुच्छेद-368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है—

1. साधारण विधि द्वारा : संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किये जा सकते हैं— 1. नये राज्यों का निर्माण, 2. राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, 3. संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएँ।
2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन : यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाये तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है।
3. संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन : संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किये जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं— 1. राष्ट्रपति का निर्वाचन *(अनुच्छेद-54)*, 2. राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य-पद्धति *(अनुच्छेद-55)*, 3. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 4. राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 5. केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 6. संघीय न्यायपालिका, 7. राज्यों के उच्च न्यायालय, 8. संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 9. सातवीं अनुसूची का कोई विषय, 10. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 11. संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबन्ध।

नोट : *संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।*

Education Keeda

20. न्यायपालिका

सर्वोच्च न्यायालय

➢ भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है।

➢ उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि-निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान *(अनुच्छेद-124)* में दिया गया है।

➢ उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं।

नोट : *उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ई. में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तदुपरान्त 1960 ई. में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1978 ई. में 18 तथा 1986 ई. में 26 हो गयी। केन्द्र सरकार ने 21 फरवरी, 2008 ई. को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया।*

➢ इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है।

➢ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु-सीमा 65 वर्ष है।

➢ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाये जा सकते हैं।

➢ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ₹ 2,80,000 प्रतिमाह व अन्य न्यायाधीशों को ₹ 2,50,000 प्रतिमाह वेतन मिलता है।

➢ सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चन्द्रचूड़ *(22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2696 दिन)* थे।

➢ सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह *(25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन)* थे।

नोट : *जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा (PIL) लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती थे।*

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।
2. वह किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम-से-कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। या, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। या, राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो।

➢ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं।

➢ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।

➢ मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर, दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अबतक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार : यह निम्न मामलों में प्राप्त है—1. भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में। 2. भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। 3. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में, जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है।

➢ प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा, जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार : देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अन्तर्गत तीन प्रकार के प्रकरण आते हैं—1. सांविधानिक, 2. दीवानी और 3. फौजदारी।
3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार : राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श माँग सकता है *(अनुच्छेद-143)*। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है।
4. पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार : संविधान के अनुच्छेद-137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिये गये आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है।
5. अभिलेख न्यायालय : संविधान का अनु.-129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किये जायेंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जायेगा।
6. मौलिक अधिकारों का रक्षक : भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद-32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा-लेख और उत्प्रेषण के लेख जारी कर सकता है।

नोट : *उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन (Interpretation) से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम-से-कम पाँच होनी चाहिए [अनुच्छेद-145 (3)]।*

उच्च न्यायालय

➢ संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा *(अनु.-214)*, लेकिन संसद विधि द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है *(अनु.-231)*। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नगालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन तथा दीव और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है।

➢ वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं।

➢ केन्द्रशासित प्रदेशों से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है।

➢ प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है *(अनुच्छेद-217)* भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग-अलग होती है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताएँ

1. भारत का नागरिक हो।
2. कम-से-कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा, किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य, जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है, का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष *(65 वर्ष प्रस्तावित)* है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से, राष्ट्रपति को संबोधित कर, कभी भी त्याग-पत्र दे सकता है।

Education Keeda

उच्च न्यायालय : अधिकारिता तथा स्थान

क्र	नाम	स्थापना वर्ष	राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता	मूल स्थान	खंडपीठ
1.	कलकत्ता	1862 ई.	पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	कोलकाता	पोर्ट ब्लेयर
2.	बम्बई	1862 ई.	महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव	मुम्बई	नागपुर, पणजी, औरंगाबाद
3.	मद्रास	1862 ई.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई	मदुरै
4.	इलाहाबाद	1866 ई.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	लखनऊ
5.	कर्नाटक	1884 ई.	कर्नाटक	बंगलुरु	—
6.	पटना	1916 ई.	बिहार	पटना	—
7.	ओडिशा	1948 ई.	ओडिशा	कटक	—
8.	गुवाहाटी	1948 ई.	असम, नगालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश	गुवाहाटी	कोहिमा, आइजोल, इटानगर
9.	राजस्थान	1950 ई.	राजस्थान	जोधपुर	जयपुर
10.	आन्ध्रप्रदेश	1954 ई.	आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना	हैदराबाद	
11.	मध्यप्रदेश	1956 ई.	मध्यप्रदेश	जबलपुर	ग्वालियर, इन्दौर
12.	केरल	1956 ई.	केरल, लक्षद्वीप	एर्नाकुलम	—
13.	जम्मू-कश्मीर	1957 ई.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर	जम्मू
14.	गुजरात	1960 ई.	गुजरात	अहमदाबाद	—
15.	दिल्ली	1966 ई.	दिल्ली	दिल्ली	—
16.	पंजाब व हरियाणा	1966 ई.	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़	चण्डीगढ़	—
17.	हिमाचल प्रदेश	1971 ई.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	—
18.	सिक्किम	1975 ई.	सिक्किम	गंगटोक	—
19.	छत्तीसगढ़	2000 ई.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	—
20.	उत्तराखण्ड	2000 ई.	उत्तराखण्ड	नैनीताल	—
21.	झारखंड	2000 ई.	झारखंड	राँची	—
22.	मेघालय	25 मार्च, 2013	मेघालय	शिलांग	—
23.	मणिपुर	25 मार्च, 2013	मणिपुर	इम्फाल	—
24.	त्रिपुरा	26 मार्च, 2013	त्रिपुरा	अगरतल्ला	—

नोट: *वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं, चार हैं; यदि केन्द्रशासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या 7 होगी।*

नोट: *केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ई. में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था।*

लोक अदालत

लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 *(संशोधन 2002)* द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाये जा सकते हैं। कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती हैं। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत ₹ 5 लाख तक के दाबे पर विचार कर सकती है।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद मुक्त किया जाता है।

➢ जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। किन्तु वह किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है।

➢ राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।

➢ राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाशप्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है।

➢ उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं *(अनुच्छेद-215)*।

➢ भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है।

महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन

1.	राष्ट्रपति	₹ 5,00,000
2.	उपराष्ट्रपति	₹ 4,00,000
3.	लोकसभा अध्यक्ष	₹ 4,00,000
4.	राज्यपाल	₹ 3,50,000
5.	सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	₹ 2,80,000
6.	सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	₹ 2,50,000
7.	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	₹ 2,50,000
8.	उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	₹ 2,25,000
9.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	₹ 2,50,000
10.	मुख्य चुनाव आयुक्त	₹ 2,50,000
11.	महान्यायवादी	₹ 2,50,000

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार : प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा-पत्र, तलाक, विवाह, *(कम्पनी-कानून)* न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन *(अनुच्छेद-226)* के लिए आवश्यक निर्देश विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार-पृच्छा के लेख जारी करने के अधिकार प्राप्त हैं।
2. अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1. फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो, तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है।

Education Keeda

2. दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है, जो ₹ 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबद्ध हो।

3. उच्च न्यायालय पेटेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि-प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुनता है।

3. उच्च न्यायालय में मुकदमों का हस्तांतरण : यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, वह विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न से संबद्ध है तो वह उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर, या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि से संबद्ध प्रश्न को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है।

4. प्रशासकीय अधिकार : उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त, पदावनति, पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है।

नोट : *उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है।*

उपभोक्ता संरक्षण

- ➢ भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित किया।
- ➢ उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर, 'जिला फोरम' राज्य स्तर पर 'राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' तथा राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग' का गठन किया गया है।
- ➢ जिला फोरम 20 लाख तक के मामलों की, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 20 लाख से एक करोड़ तक के मामलों की एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग एक करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है।

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण [CAT]

संविधान के अनुच्छेद-323 A के प्रावधानों से केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गाँधी थे। CAT का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष एवं 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं।

21. राज्य की कार्यपालिका

राज्यपाल

- ➢ संविधान के भाग-6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है व यह प्रावधान जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- ➢ राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।
- ➢ मूल संविधान में अनुच्छेद-153 में यह उल्लिखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किन्तु, सातवें संविधान संशोधन (1956) द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है।
- ➢ राज्यपाल की योग्यता : राज्यपाल पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएँ होना अनिवार्य है—1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो। 3. किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। 4. वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो।
- ➢ राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्षों की अवधि के लिए की जाती है; परन्तु यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है *[अनु.-156 (1)]* या वह पदत्याग कर सकता है *[अनु.-156 (2)]*।

नोट : *भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।*

- ➢ राज्यपाल का वेतन ₹ 3,50,000 मासिक है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो, तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जायेगा, जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे।
- ➢ राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है।

राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार

1. वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
2. राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती है।
3. जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता।
4. राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात् उसके द्वारा किये गये कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे दो मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है।

राज्यपाल की शक्तियाँ तथा कार्य

1. कार्यपालिका संबंधी कार्य

(a) राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं।

(b) राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

(c) राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों, जैसे मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।

नोट : *राज्यपाल राज्यलोक सेवा के सदस्यों को नहीं हटा सकता। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरहर्ताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं (अनुच्छेद-317)*।

(d) राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है *[अनुच्छेद-217 (1)]*।

(e) राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे।

(f) राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केन्द्र सरकार के अभिकर्त्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।

(g) राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है।

(h) वह राज्य विधान परिषद् की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज-सेवा, सहकारी आन्दोलन आदि से रहता है *[अनुच्छेद-171 (5)]*। यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सभा से संबंधित तत्समान सूची में "सहकारी आंदोलन" सम्मलित नहीं है।

2. विधायी अधिकार

(a) राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग है *(अनुच्छेद-164)*।

(b) राज्यपाल विधान मंडल का सत्राह्वान करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है, राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है।

(c) राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है।

Education Keeda

(d) राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है।

(e) यदि विधानसभा में आँग्ल-भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है *(अनुच्छेद-333)*।

नोट : *जम्मू-कश्मीर राज्य विधानसभा में दो महिलाओं को प्रवेश का राज्यपाल नामजद करता है।*

(f) जब विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही स्थान प्राप्त है, जो विधान मंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम का है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधान मंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधान मंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती [अनुच्छेद-213] है।

(g) राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधान मंडल के पास भेज सकता है; परन्तु राज्य विधान मंडल द्वारा इसे दुबारा पारित किये जाने पर वह उसपर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निदेश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधान मंडल को लौटा दे। ऐसे लौटाए जाने पर विधान मंडल छः मास के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा और यदि उसे पुनः पारित किया जाता है तो विधेयक राष्ट्रपति को पुनः प्रस्तुत किया जायेगा किन्तु इस पर भी राष्ट्रपति के लिए अनुमति देना अनिवार्य नहीं है *(अनुच्छेद-201)*।

(h) राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमति प्रदान कर दे। राज्यपाल को राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करना उस समय अनिवार्य है जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण करता है जिससे यदि विधेयक विधि बन जायेगा तो उच्च न्यायालय की सांविधानिक स्थिति को खतरा होगा।

3. वित्तीय अधिकार

(a) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्तमंत्री को विधान मंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है।

(b) विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है।

(c) राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी माँग को विधान मंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।

(d) ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो, उस समय तक विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे।

नोट : *राज्य वित्त आयोग किसी राज्य के राज्यपाल को, उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धान्तों के विषय में संस्तुति करता है।*

4. न्यायिक अधिकार

राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकेगा या किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकेगा। यह ऐसे व्यक्ति के संबंध में होगा जिसे ऐसी विधि के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है *(अनुच्छेद-161)*।

नोट : *राष्ट्रपति को सभी प्रकार के मृत्यु-दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश के मामले में ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सेना-न्यायालय (कोर्ट-मार्शल) के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति नहीं प्राप्त है।*

5. आपात शक्ति

जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर *[अनुच्छेद-356]* यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले *(इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।)*।

राज्यपाल की स्थिति

यदि हम राज्यपाल के उपर्युक्त अधिकारों पर दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकारी है। किन्तु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, जिसमें मंत्रिपरिषद् विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, अतः वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद् को प्राप्त होती हैं, न कि राज्यपाल को। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है किन्तु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छानुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

विधान परिषद्

- ➢ किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद-169 में दिया गया है।
- ➢ विधान परिषद् राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है।
- ➢ यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद् स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है।
- ➢ वर्तमान में केवल सात राज्यों *[उत्तर प्रदेश (99), कर्नाटक (75), जम्मू एवं कश्मीर (36), महाराष्ट्र (78), बिहार (75), आन्ध्र प्रदेश (50) तथा तेलंगाना (40)]* में विधान परिषदें विद्यमान हैं।
- ➢ विधान परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती है, किन्तु किसी भी अवस्था में विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। *अपवाद—जम्मू-कश्मीर (36)*
- ➢ विधान परिषद् का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु-सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किन्तु प्रति दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं व उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र द्वारा हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित होता है तो वह सदस्य शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहता है, छह वर्ष के लिए नहीं।
- ➢ विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।
- ➢ विधान परिषद् के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्य, राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं, एक-तिहाई सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं; $\frac{1}{12}$ सदस्य उन स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिन्होंने कम-से-कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो; $\frac{1}{12}$ सदस्य उन अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, जो कम-से-कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊँची कक्षाओं में शिक्षण-कार्य कर रहे हों; तथा $\frac{1}{6}$ सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आन्दोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विषयज्ञान हो।
- ➢ विधान परिषद् की किसी भी बैठक के लिए कम-से-कम 10 या विधान परिषद् के कुल सदस्यों का दसमांश $\left(\frac{1}{10}\right)$ इनमें जो भी अधिक हो, गणपूर्ति होगा।
- ➢ विधान परिषद् अपने सदस्यों में से दो को क्रमशः सभापति एवं उपसभापति चुनती है।

Education Keeda

- सभापति एवं उपसभापति को विधान मंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं।
- सभापति उपसभापति को संबोधित कर एवं उपसभापति सभापति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकता है, अथवा परिषद् के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ भी किया जा सकता है। किन्तु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है।

विधानसभा

- विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, किन्तु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है।
- विधानसभा के सत्रावसान *(prorogation)* के आदेश राज्यपाल के द्वारा दिये जाते हैं।
- विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है।
- प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम-से-कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद—गोवा *(40)*, मिजोरम *(40)*, सिक्किम *(32)*। *(इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है।)*
- विधान सभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाता है *(अनु.-332)*।
- विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है।
- साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता किन्तु यदि सदन में मत बराबरी में बँट जाएँ तो वह निर्णायक मत देता है।
- जब कभी अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है।
- किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ही करता है।
- सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के दसमांश $\left(\frac{1}{10}\right)$ सदस्यों की उपस्थितियाँ गणपूर्ति हेतु आवश्यक है।

विधानसभा के अधिकार और कार्य

1. विधि-निर्माण : 1. इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। 2. समवर्ती सूची से संबद्ध विषयों पर संसद की तरह राज्य विधान मंडल भी विधि-निर्माण कर सकता है, किन्तु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध की सीमा तक संसदीय विधि वरणीय है।
2. वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया : 1. राज्य विधान मंडल राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधान मंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। 2. कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद् में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है, तब वह विधानपरिषद् के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद् को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद् उस विधेयक के संबंध में संस्तुतियाँ तो दे सकती हैं, किन्तु वह न तो उसे अस्वीकार कर सकती और न उसमें संशोधन ही कर सकती है। 3. विधानसभा द्वारा पारित किये जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है।
3. कार्यपालिका पर नियंत्रण : मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब कभी मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो समूचा मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

विधानसभा और विधान परिषद् की सदस्य संख्या

क्र	राज्य	विधान सभा	विधान परिषद्	क्र	राज्य	विधान सभा	विधान परिषद्
1.	अरु. प्रदेश	60	—	16.	पंजाब	117	—
2.	असम	126	—	17.	प. बंगाल	294	—
3.	आन्ध्रप्रदेश	175	50	18.	बिहार	243	75
4.	ओडिशा	147	—	19.	मणिपुर	60	—
5.	उत्तर प्रदेश	403	99	20.	मध्यप्रदेश	230	—
6.	उत्तराखण्ड	70	—	21.	महाराष्ट्र	288	78
7.	कर्नाटक	224	75	22.	मिजोरम	40	—
8.	केरल	140	—	23.	मेघालय	60	—
9.	गुजरात	182	—	24.	राजस्थान	200	—
10.	गोवा	40	—	25.	सिक्किम	32	—
11.	छत्तीसगढ़	90	—	26.	हरियाणा	90	—
12.	जम्मू-कश्मीर*	87	36	27.	हि. प्रदेश	68	—
13.	झारखंड	81	—	28.	त्रिपुरा	60	—
14.	तमिलनाडु	234	—	29.	तेलंगाना	119	40
15.	नगालैंड	60	—				
	संघीय प्रदेश						
1.	दिल्ली	70	—	2.	पुदुचेरी	30	—

** जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में प्रारंभ में 100 सीटें दी गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 111 (जम्मू-कश्मीर संविधान के 12वें संशोधन 1988) कर दिया गया, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है इसीलिए 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।*

4. संवैधानिक संशोधन : संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, तो आधे से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है।
5. निर्वाचन संबंधी अधिकार : राष्ट्रपति के निर्वाचन में जितना मताधिकार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्राप्त है, उतना ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त है।

मुख्यमंत्री

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
- मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- मंत्रिपरिषद् के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुँचाता है।

नोट : *91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार, राज्य की विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए।*

- जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद् तक पहुँचाना चाहता है, तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही यह कार्य करता है।
- राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है।
- अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है।

केन्द्रशासित प्रदेश

- केन्द्रशासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है और वह इस बारे में जहाँ तक उचित समझे, अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य करते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है जबकि चंडीगढ़ का प्रशासक मुख्य आयुक्त कहलाता है। इस समय पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक यानी मुख्य आयुक्त है।
- दादर और नगर हवेली का प्रशासक दमन एवं दीव का कार्य देखता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक है।

Education Keeda

नोट : *अनुच्छेद-239 क क (5) के तहत विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली एवं पुदुचेरी) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है तथा मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद धारण करते हैं। मंत्रिपरिषद विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। [अनुच्छेद 239 क क (6)]।*

22. केन्द्र-राज्य-संबंध

➢ भारत में केन्द्र-राज्य-संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है और संघवाद की इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है।

➢ भारतीय संविधान में केन्द्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है।

➢ भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में केन्द्र एवं राज्य की शक्तियों के बँटवारे से संबंधित तीन सूची दी गई है—1. संघ सूची, 2. राज्य सूची और 3. समवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों की विषयों की संख्या वही बनी हुई है, जो मूल संविधान में थी।

नोट : *भारत के संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तिओं का विभाजन भारत सरकार अधिनियम, 1935 में उल्लिखित योजना पर आधारित है।*

➢ संघ सूची : संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार केन्द्रीय विधायिका अर्थात् संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं *(मूलतः 97)*[1]। जिनमें प्रमुख हैं—रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अन्तरराष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल तथा वायु एवं जल परिवहन आदि।

➢ राज्य सूची : इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है, जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधान मंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है *(मूलतः 66 विषय)*[2]। जिनमें प्रमुख हैं लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू-राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय, विक्रय एवं सिंचाई आदि।

➢ समवर्ती सूची : इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधान मंडल दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों कानूनों में विरोध है, तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय *(मूलतः 47 विषय)*[3] है। उनमें प्रमुख हैं–राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार-पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन।

नोट : *संविधान के 42वें संशोधन (1976) के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है।*

➢ अवशिष्ट विधायी शक्ति : जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है।

1. *अब भी अंतिम प्रविष्टि की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्टि संख्या 2 क, 92 क, और 92 ख जोड़ा गया और प्रविष्टि 33 को हटाया गया।*
2. *अब भी अंतिम प्रविष्टि 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19, 20, 29 और 36 को हटाया गया।*
3. *अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या 47 है लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11क, 17क, 17ख, 20क और 33क को जोड़ा गया।*

केन्द्र-राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
247	कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति।
249	राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति।
250	राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति।
252	दो या अधिक राज्यों के लिए, उनकी सहमति के पश्चात् संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना।
253	संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किये गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है।
257	कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण।
262	अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी-घाटियों के पानी से संबंधित विवादों के संबंध में न्यायनिर्णयन।
268	संघ द्वारा आरोपित किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किए गए कर।
268–A	संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संगृहीत एवं उपयोग किया गया सेवा कर।
269	केन्द्र द्वारा लगाए गए एवं संगृहीत किए गए किन्तु राज्यों को दिये जाने वाले कर।
270	केन्द्र एवं राज्यों के बीच लगाये गये कर एवं संघ तथा राज्यों के बीच वितरण।
275	कुछ राज्यों को संघ से अनुदान।
283	संचित निधियाँ, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा।
286	वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध।
287	बिजली पर करों से छूट।
289	किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट।
290	कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन।
292	भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार।
293	राज्यों द्वारा लिया गया उधार।

➢ राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति : संविधान के अनुच्छेद-249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून एक वर्ष के लिए प्रवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार-बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

➢ राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूचि पर कानून बना सकती है।

➢ अनुच्छेद-253 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।

➢ संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं : निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक तथा शेयर बाजार।

➢ राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं : व्यक्ति कर, कृषि, भूमि पर कर, सम्पदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकायान पर कर, विक्रय कर, वाहनों पर चुंगी।

➢ केन्द्र व राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः चार आयोग गठित किये गये, जो इस प्रकार हैं—प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति एवं सरकारिया आयोग।

Education Keeda

➢ सरकारिया आयोग : 1983 ई. में केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केन्द्र-राज्य संबंधों पर एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया। वी. शिवरामन और एम.आर. सेन आयोग के दो अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया कि वह केन्द्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं व कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन व प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया, तथापि इसका कार्यकाल चार बार बढ़ाना पड़ा। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर, 1987 ई. में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी, 1988 ई. में जारी किया गया। आयोग ने केन्द्र-राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की।

➢ पुंछी आयोग : अप्रैल, 2007 ई. में केन्द्र सरकार ने केन्द्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिये उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग के अन्य चार सदस्य थे–धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रो. एन.आर. माधव मेनन और डॉ. अमरेश बागची। फरवरी, 2008 ई. में डॉ. बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर, 2008 ई. में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिये किया गया था कि दो दशक पहले गठित सरकारिया आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नयी परिस्थितियों में केन्द्र-राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है।

23. अन्तर्राज्य परिषद्

➢ संविधान के अनुच्छेद-263 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अन्तर्राज्य परिषद् की स्थापना कर सकता है।

➢ पहली बार जून, 1990 ई. में अन्तर्राज्य परिषद् की स्थापना की गई, जिसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर, 1990 ई. को हुई थी।

➢ इसमें निम्न सदस्य होते हैं—
प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक।

➢ अन्तर्राज्य परिषद् की बैठक वर्ष में तीन बार की जायेगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करता है। परिषद् की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम-से-कम दस सदस्य अवश्य उपस्थित हों।

24. नीति आयोग

➢ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की।

➢ 1 जनवरी, 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे 'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान *(National Institution for Transforming India—NITI)* कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम पर जाना जा रहा है।

➢ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा व केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा।

➢ केन्द्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा।

योजना आयोग

15 अगस्त, 2014 ई. को इसे समाप्त करने की घोषणा की गई। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। 15 मार्च, 1950 ई. को केन्द्रीय मंत्रीमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गयी थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे।

नीति आयोग की संरचना

अध्यक्ष : नरेन्द्र मोदी *(प्रधानमंत्री)*
उपाध्यक्ष : राजीव कुमार
पूर्णकालिक सदस्य : वि.के. पॉल, वी. के सारस्वत एवं प्रो. रमेश चन्द्र
पदेन सदस्य : अमीत शाह *(गृहमंत्री)*, निर्मला सीतारमण *(वित्त मंत्री)*, राजनाथ सिंह *(रक्षा मंत्री)* तथा नरेन्द्र सिंह तोमर *(कृषि मंत्री)*।
विशेष आमंत्रित : नितिन गडकरी, पीयुष गोयल, थावर.चन्द्र गहलोत, राव इंद्रजीत सिंह
अधिशासी परिषद् *(Governing Council)* : के अन्य सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी : अमिताभ कांत

➢ पंचवर्षीय योजनाओं के भावी स्वरुप आदि के संबंध में यह आयोग सरकार को सलाह देगा।

➢ नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरबिन्द पनगढ़िया थे।

25. राष्ट्रीय विकास परिषद्

➢ योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त, 1952 ई. को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन हुआ। अतः ये न तो संवैधानिक निकाय हैं और न ही सांविधिक निकाय।

➢ प्रधानमंत्री, परिषद् का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का सचिव ही इसका सचिव होता है।

➢ भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं।

➢ राष्ट्रीय विकास परिषद् का मुख्य कार्य केन्द्र व राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है।

नोट : *के. सन्थानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद् को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी।*

26. वित्त आयोग

➢ संविधान के अनुच्छेद-280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।

➢ वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।

➢ वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते हैं।

➢ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है।

➢ राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243(1) के द्वारा किया जाता है।

➢ वित्त आयोग वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

अब तक गठित वित्त आयोग

वित्त आयोग	नियुक्ति वर्ष	अध्यक्ष	अवधि
पहला	1951 ई.	के. सी. नियोगी	1952-1957
दूसरा	1956 ई.	के. संथानम	1957-1962
तीसरा	1960 ई.	ए. के. चन्दा	1962–1966
चौथा	1964 ई.	डॉ. पी. वी. राजमन्नार	1966-1969
पाँचवाँ	1968 ई.	महावीर त्यागी	1969-1974
छठा	1972 ई.	पी. ब्रह्मानन्द रेड्डी	1974-1979
सातवाँ	1977 ई.	जे. पी. सेलट	1979-1984
आठवाँ	1982 ई.	वाई. पी. चौहान	1985-1989
नौवाँ	1987 ई.	एन. के. पी. साल्वे	1989-1995
दसवाँ	1992 ई.	के. सी. पन्त	1995-2000
ग्यारहवाँ	1998 ई.	प्रो. ए. एम. खुसरो	2000-2005
बारहवाँ	2003 ई.	डॉ. सी. रंगराजन	2005-2010
तेरहवाँ	2007 ई.	डॉ. विजय एल. केलकर	2010-2015
चौदहवाँ	2013 ई.	वाई. भी. रेड्डी	2015-2020
पन्द्रहवाँ	2017 ई.	एन. के सिंह	2020-2025

वित्त आयोग के प्रमुख कार्य :

1. वित्त आयोग के द्वारा संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आबंटन किया जाता है।

Education Keeda

2. वित्त आयोग भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है।
3. राज्य, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य के नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्द्धन के लिए जरूरी उपाय करता है।
4. राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है।

नोट: *राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है (अनुच्छेद 281)।*

27. लोक सेवा आयोग

- ➢ भारत में 1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गयी थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ई. में विधि आयोग ने सिफारिश की थी।
- ➢ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ➢ संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। वर्तमान में इसकी संख्या 10 है।
- ➢ संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। यदि वह 6 वर्षों के अन्दर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है।
- ➢ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परन्तु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है।
- ➢ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। इन दोनों में जो पहले पूरा होता है उसी के तहत वे अवकाश ग्रहण करते हैं, परन्तु उन्हें कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निर्हर्ताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद–317 के अन्तर्गत राष्ट्रपति हटा सकते हैं।

28. निर्वाचन आयोग

- ➢ संविधान के भाग–15 के अनु.–324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबन्ध दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
- ➢ निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
- ➢ मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तब तक रहता है।
- ➢ मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन *(₹ 90000 मासिक)* एवं भत्ते प्राप्त होंगे।
- ➢ पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परन्तु अक्टूबर, 1993 ई. में तीन सदस्यीय आयोग बना दिया गया।

निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य

1. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, 2. मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, 3. विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, 4. राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न प्रदान करना, 5. चुनाव करवाना, 6. राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना।

निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान

1. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है अर्थात् इसका निर्माण संविधान ने किया है। 2. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। 4. मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। 5. नियुक्ति के पश्चात् मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा-शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)

केरल के पारूर *(Parur)* विधान सभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन *(EVM)* का प्रयोग पहली बार मई, 1982 में किया गया। नवम्बर, 1998 में मध्य प्रदेश के पाँच, राजस्थान के पाँच एवं दिल्ली के छः विधान सभाओं के चुनाव में बड़े पैमाने पर EVM का प्रयोग किया गया। EVM का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य गोवा है। EVM का प्रयोग करके पहली बार 2004 में सम्पूर्ण आम चुनाव कराया गया। 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधान सभाओं के चुनाव में EVM का प्रयोग होने लगा। EVM की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए VVPAT यानी वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल *(Voter Verifiable Paper Audit Trail)* मशीन की मदद ली जा रही है। VVPAT व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम एवं चुनाव चिह्न छपा होता है। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नगालैंड के चुनाव में 2013 में हुआ।

नोट: *भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लि.* ने VVPAT मशीन को 2013 में बनाई

प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनका चुनाव-चिह्न

दल	चुनाव-चिह्न	राज्य
तेलुगू देशम्	साइकिल	आन्ध्रप्रदेश
समाजवादी पार्टी	साइकिल	उत्तर प्रदेश
असम गण परिषद्	हाथी	असम
झारखंड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान	झारखंड
लोक जन. पार्टी	बंगला	बिहार
तेलंगाना राष्ट्र स.	कार	तेलंगाना
पैंथर्स पार्टी	साइकिल	जम्मू-कश्मीर
नेशनल कॉन्फ्रेंस	हल	जम्मू-कश्मीर
राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	बिहार, झारखंड
शिवसेना	तीर-कमान	महाराष्ट्र
ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक	शेर	पश्चिम बंगाल
अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	दो पत्ती	तमिलनाडु
महाराष्ट्रवादी गोमान्तक पार्टी	शेर	गोवा
सिक्किम संग्राम परिषद्	हाथी	सिक्किम
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	उगता सूरज	तमिलनाडु, पुदुचेरी
नगालैंड पीपुल्स कौंसिल	मुर्गा	नगालैंड
अकाली दल *(बादल)*	तराजू	पंजाब
जनता दल (यू)	तीर	बिहार, झारखंड
मुस्लिम लीग	सीढ़ी	केरल

राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें

(a) लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं चार अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गये वैध मतों का छह प्रतिशत प्राप्त करना जरूरी होगा;

(b) इसके अलावे इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम-से-कम चार सीटें जीतनी होंगी; अथवा

(c) लोकसभा में दो प्रतिशत सीटें हों और ये कम-से-कम तीन विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हों।

वर्तमान में मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल

दल	चुनाव-चिह्न
भारतीय जनता पार्टी	कमल
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	पंजा
भारतीय कम्युनिस्ट दल	हँसिया और बाली
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी	घड़ी
बहुजन समाज पार्टी	हाथी *(असम को छोड़कर)*
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी *(मार्क्सवादी)*	हँसिया, हथौड़ा एवं तारा
तृणमूल काँग्रेस पार्टी	जोड़ा फूल

मतदाता का फोटो युक्त पहचान-पत्र

निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनावों में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण के लिए मतदाता के फोटो युक्त पहचान-पत्र का उपयोग किया गया। पंजीकृत मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान-पत्र जारी करने का आधार मतदाता सूची है। सामान्य रूप से प्रतिवर्ष इस मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है और नवंबर की पहली तारीख पात्रता तिथि मानी जाती है। इस तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले या इससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। एक बार सूची में पंजीकृत हो जाने के बाद वह फोटो युक्त पहचान-पत्र प्राप्त करने का पात्र हो जाता है।

29. परिसीमन आयोग

संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। अनुच्छेद-82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोक सभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किये जाने का प्रावधान है।

- ➢ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ई. तक के लिए रोक लगा दी गई थी।
- ➢ 84 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 ई. के द्वारा संविधान के अनुच्छेद-82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ई. तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जायेगी।

अब तक गठित चार परिसीमन आयोग

1. परिसीमन आयोग–1952
2. परिसीमन आयोग–1962
3. परिसीमन आयोग–1973
4. परिसीमन आयोग–2002

स्रोत : भारत 2016 *(P. 618)*

- ➢ परिसीमन आयोग 2002 का गठन 12 जुलाई, 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया व इस आयोग की सिफारिशों को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 10 जनवरी, 2008 को मंजूरी प्रदान की। नये परिसीमन से लोक सभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जायेगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है।
- ➢ परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं।
- ➢ परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधान सभाओं एवं लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है।
- ➢ परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- ➢ परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा एवं संबंधित राज्य विधान सभाओं में रखा जाता है किंतु लोकसभा एवं राज्य विधान सभाएँ परिसीमन आयोग के आदेशों में कोइ सुधार या संशोधन नहीं कर सकती है। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं किया जाता है किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सीटों में परिवर्तन कर दिया जाता है।

नये परिसीमन के बाद आरक्षित सीट

जाति	पहले आरक्षित सीट	नये परिसीमन के बाद आरक्षित सीट
अनुसूचित जाति	79	84
अनुसूचित जनजाति	41	47

अनारक्षित सीटों की संख्या—412

नोट : ***वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 ई. के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका—असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड एवं झारखंड। पूर्वोत्तर के चारों राज्यों में स्थानीय विरोध एवं अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका जबकि झारखंड में सरकारी नीति के विपरीत आरक्षित सीटें कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका।***

30. भारतीय राजव्यवस्था में वरीयता अनुक्रम

- ➢ भारतीय राजव्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम *(Warrant of Precedence)* इस प्रकार है—1. राष्ट्रपति, 2. उपराष्ट्रपति, 3. प्रधानमंत्री, 4. राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्यों में, 5. भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5. क-उप प्रधानमंत्री, 6. भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभाध्यक्ष, 7. केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता, 7.क-भारत रत्न सम्मान के धारक, 8. राजदूत, 9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9. क-मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 10. राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केन्द्र में राज्यमंत्री।
- ➢ भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है।

नोट : *मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को (9)क की स्थिति प्रदान की है, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा (यह संशोधन अगस्त, 93 में किया गया।)*

31. राजभाषा [अनुच्छेद-343–351]

- ➢ संविधान के भाग–17 के अनुच्छेद-343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है।
- ➢ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1955 में श्री बी. जी. खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया।
- ➢ संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार हैं—1. असमिया 2. बंगला 3. गुजराती 4. हिन्दी 5. कन्नड़ 6. कश्मीरी 7. मलयालम 8. मराठी 9. उड़िया 10. पंजाबी 11. संस्कृत 12. सिन्धी 13. तमिल 14. तेलुगू 15. उर्दू 16. कोंकणी 17. मणिपुरी 18. नेपाली 19. मैथिली 20. संथाली 21. डोगरी 22. बोडो

नोट : ***1967 ई. में संविधान के 21वें संशोधन के द्वारा सिन्धी को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। 1992 ई. में संविधान के 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली को आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ई. के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को जोड़ा गया है।***

- ➢ राज्य की भाषा : संविधान के अनुच्छेद-345 के अधीन प्रत्येक राज्य के विधान मंडल को यह अधिकार दिया गया है कि वह विधि द्वारा राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के प्रयोग के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकता है। परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

इस उपबंध के अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा के रूप में अंगीकार किया। जैसे आन्ध्रप्रदेश ने तेलगू, केरल ने मलयालम, असम ने असमिया, प. बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने उड़िया, गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिन्दी, गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती, जम्मू कश्मीर ने उर्दू, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एवं नगालैंड ने अंग्रेजी, पुदुचेरी ने फ्रांसीसी, त्रिपुरा ने कोक्बोरोक तथा मिजोरम ने मिजो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है।

Education Keeda

➢ राज्यों के परस्पर संबंधों में तथा संघ तथा राज्यों के परस्पर संबंधों में संघ की राजभाषा को ही प्राधिकृत भाषा माना जायेगा। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा *(अनुच्छेद-346)*।

➢ उच्चतम और उच्च न्यायालयों तथा विधान मंडलों की भाषा: संविधान में प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद द्वारा कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न किया जाय, तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी होगी और संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानून अंग्रेजी में होंगे।

नोट: *संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है, इसके अधीन हिन्दी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है। अर्थात् भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है।*

32. आपात उपबन्ध

➢ भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात काल की व्यवस्था की गयी है—1. राष्ट्रीय आपात 2. राष्ट्रपति शासन 3. वित्तीय आपात।

➢ राष्ट्रीय आपात *(अनुच्छेद-352)*: इसकी घोषणा निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है—1. युद्ध, 2. बाह्य आक्रमण और 3. सशस्त्र विद्रोह।

➢ राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है।

➢ 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद-352 के अधीन उद्घोषणा सम्पूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है।

➢ राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है; अपितु वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है।

➢ राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा एक माह तक प्रवर्तन में रहती है और यदि इस दौरान इसे संसद के दो-तिहाई बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है, तो वह छह माह तक प्रवर्तन में रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में छह महीने तक बढ़ा सकती है।

➢ यदि आपात की उद्घोषणा तब की जाती है, जब लोकसभा का विघटन हो गया हो या लोकसभा का विघटन एक मास के अंतर्गत आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किये बिना हो जाता है, तो आपात उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, अन्यथा 30 दिन के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

➢ यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है।

➢ आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जा सकता है, जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के $\frac{1}{10}$ सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को, जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को, जब सत्र नहीं चल रहा हो, दी जाती है।

➢ लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना-प्राप्ति के 14 दिनों के अन्दर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं।

आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव

जब कभी संविधान के अनुच्छेद-352 के अन्तर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है, तो इसके ये प्रभाव होते हैं—

1. राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है।
2. संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची से संबद्ध विषयों तक विस्तृत हो जाती है। अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के सामान्य वितरण का निलंबन हो जाता है, यद्यपि राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाये गये कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद छह माह तक प्रभावी रहते हैं।
3. जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केन्द्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केन्द्र से राज्यों को दिये जाने वाले धन *(वित्त)* को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है।
4. राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल *(5 वर्ष)* से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में एक वर्ष के लिए *(कितने भी समय तक)* बढ़ाया जा सकता है। किन्तु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद छह माह से ज्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए पाँचवीं लोकसभा *(1971-77)* का कार्यकाल दो बार एक समय में एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
5. अनुच्छेद-358 एवं 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद-358, अनुच्छेद-19 द्वारा दिये गये मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद-359 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन *(अनुच्छेद-20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर)* से संबंधित है।

   अनुच्छेद-358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने अथवा हटाने के लिए कानून बना सकता है अथवा कोई कार्यकारी निर्णय ले सकता है। ऐसे किसी कानून अथवा कार्य को, इस आधार पर कि यह अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों का उल्लंघन है, चुनौती नहीं दी जा सकती। जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है, अनुच्छेद-19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है।

   1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद-358 की संभावना पर दो प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रथम अनुच्छेद-19 द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकारों को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। दूसरे, केवल उन विधियों को जो आपातकाल से संबंधित हैं, चुनौती नहीं दी जा सकती है तथा ऐसे विधियों के अन्तर्गत दिये गये कार्यकारी निर्णयों को भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

➢ अन्य मूल अधिकारों का निलंबन: अनुच्छेद-359 राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। अतः 359 के अन्तर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में ये अधिकार जीवित रहते हैं केवल इनके तहत उपचार निलंबित होता है। यह निलंबन उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है, जो राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित होते हैं। जब राष्ट्रपति का आदेश प्रभावी रहता है तो राज्य उस मूल अधिकार को रोकने व हटाने के लिए कोई भी विधि बना सकता है या कार्यकारी कदम उठा सकता है। ऐसी किसी भी विधि या कार्य को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि यह संबंधित मूल अधिकार से साम्य नहीं रखता। इस विधि के प्रभाव में किये गये विधायी व कार्यकारी कार्यों को आदेश समाप्ति के उपरांत चुनौती नहीं दी जा सकती है।

   44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अनुच्छेद-359 के क्षेत्र में दो प्रतिबंध लगाता है। प्रथम, राष्ट्रपति अनुच्छेद-20 तथा 21 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकता है। यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार *(अनुच्छेद-20)* तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार *(अनुच्छेद-21)*, आपातकाल में भी प्रभावी रहता है। द्वितीय केवल उन्हीं विधियों को चुनौती से संरक्षण प्राप्त है जो आपातकाल से संबंधित है, उन विधियों व कार्यों को नहीं जो इनके तहत बनाये गये हैं।

Education Keeda

अनुच्छेद-358 और 359 में अन्तर

1. अनुच्छेद-358 केवल अनुच्छेद-19 के अन्तर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद-359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है, जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है।
2. अनु.-358 स्वतः ही, आपातकाल की घोषणा होने पर अनु.-19 के अंतर्गत के मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। दूसरी ओर, अनु.-359 मूल अधिकारों का निलंबन स्वतः नहीं करता। यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करें।
3. अनुच्छेद-358 केवल बाह्य आपातकाल *(जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो)* में लागू होता है न कि आंतरिक आपातकाल *(जब सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हो)* के समय। दूसरी ओर अनुच्छेद-359 बाह्य तथा आन्तरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है।
4. अनुच्छेद-358, अनुच्छेद-19 को आपातकाल की सम्पूर्ण अवधि के लिए निलंबित कर देता है जबकि अनुच्छेद-359 मूल अधिकारों के निलंबन को राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गयी अवधि के लिए लागू करता है। यह अवधि सम्पूर्ण आपातकालीन अवधि या अल्पावधि हो सकती है।
5. अनुच्छेद-358 संपूर्ण देश में तथा अनुच्छेद-359 सम्पूर्ण देश अथवा किसी भाग विशेष में लागू हो सकता है।
6. अनुच्छेद-358, अनुच्छेद-19 को पूर्ण रूप से निलंबित कर देता है जबकि अनुच्छेद 359, अनुच्छेद-20 व 21 के निलंबन को लागू नहीं करता है।
7. अनु.-358 राज्य को अनु.-19 के अन्तर्गत मूल अधिकारों से साम्य नहीं रखने वाले नियम बनाने का अधिकार देता है जबकि अनु.-359 केवल उन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में ऐसे कार्य करने का अधिकार देता है, जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किया गया है।

➢ अनुच्छेद-352 के अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर, 1962 ई. को की गयी थी। यह उद्घोषणा 10 जनवरी, 1968 ई. को वापस ले ली गई।

➢ दूसरी बार आपात की उद्घोषणा 3 दिसम्बर, 1971 ई. को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई *(बाह्य आक्रमण के आधार पर)*।

➢ तीसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून, 1975 ई. को आन्तरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर जारी की गयी थी।

➢ दूसरी तथा तीसरी उद्घोषणा को मार्च, 1977 ई. में वापस ली गई।

राज्य में राष्ट्रपति शासन *(अनुच्छेद-356)* **:**

➢ अनुच्छेद-356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में सांविधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है।

➢ राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़कर राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथ में ले लेता है।

➢ राज्य में आपात उद्घोषणा की अवधि दो मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है तब यह छह मास की होती है। अधिकतम तीन वर्ष तक यह एक राज्य के प्रवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है।

➢ सर्वप्रथम 20 जुलाई, 1951 ई. में पंजाब राज्य में अनुच्छेद-356 का प्रयोग किया गया। *(भार्गव मंत्रीमंडल के पतन का कारण)*

नोट : सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद-356 का प्रयोग जम्मू-कश्मीर राज्य में रहा (19.07.1990 ई. से 09.10.1996 ई. तक)।

वित्तीय आपात *(अनुच्छेद-360)* **:**

➢ अनु.-360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जाती है, जब उसे विश्वास हो जाय कि ऐसी स्थिति विद्यमान है, जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है।

➢ वित्तीय आपात की घोषणा को दो महीनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना तथा उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

➢ वित्तीय आपात की घोषणा उस समय की जाती है, जब लोकसभा विघटित हो, तो दो महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वह आगे भी लागू रहेगी। किन्तु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा उसकी प्रथम बैठक के आरंभ से 30 दिन के भीतर ऐसी घोषणा की स्वीकृति आवश्यक है।

➢ इसकी अधिकतम समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। यानी एक बार यदि इसे संसद के दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त हो जाये तो वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाये।

➢ राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा को किसी समय वापस ले सकता है।

शपथ एवं त्यागपत्र

पद	शपथ	त्यागपत्र
राष्ट्रपति	मुख्य न्यायाधीश	उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
राज्यपाल	राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री	राष्ट्रपति	राष्ट्रपति
लोकसभा अध्यक्ष	शपथ नहीं होता है	उपाध्यक्ष

वित्तीय आपात का प्रभाव

1. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है।
2. राष्ट्रपति आर्थिक दृष्टि से किसी भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है।
3. राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को यह निर्देश दे कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति से विधानसभा में प्रस्तुत किये जाएँ।
4. राष्ट्रपति केन्द्र तथा राज्यों में धन संबंधी विभाजन के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।

33. जम्मू-कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा (अनु. 370)

➢ भारतीय संविधान का अनुच्छेद-370 जम्मू-कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। जम्मू-कश्मीर भारतीय संविधान की संशोधित पहली अनुसूची में सम्मिलित 15वाँ राज्य है परन्तु पहली अनुसूची के राज्यों से संबंधित सभी उपबंध जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते।

➢ अनुच्छेद-370 का खंड (1) यह कहता है कि इस संविधान में किसी बात को होते हुए भी—

(क) अनुच्छेद-238 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे, और

(ख) उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति, संघ सूची एवं समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिन्हें राष्ट्रपति, उक्त राज्य की सरकार से परामर्श करके, उन विषयों के समान विषय घोषित कर दे जो जम्मू-कश्मीर अधिमिलन पत्र *(Instrument of Accession)* में उन विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट है और जिनके संबंध में डोमिनियन व्यवस्थापिका उस राज्य के लिए कानून बना सकती है। हालाँकि यह शक्ति उन सूचियों के उन अन्य विषयों तक ही सीमित रहेगी राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-1 के समस्त उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं।

➢ जम्मू-कश्मीर एक मात्र राज्य है, जिसका अपना अलग संविधान है और जहाँ संपति का अधिकार वहाँ के स्थायी नागरिकों को मूलाधिकार के रूप में प्राप्त है।

➢ राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से संबंधित भारत के संविधान के भाग-4 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं।

Education Keeda

- ➢ जम्मू-कश्मीर के मामले में केन्द्र सरकार समवर्ती सूची में से कुछ विषयों पर ही कानून बना सकती है।
- ➢ भारतीय संसद को राज्यों के संबंध में कानून ब्नाने की अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं जबकि जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में ये शक्तियाँ राज्य विधान मंडल को प्राप्त है।
- ➢ भारतीय संविधान के अनुच्छेद-368 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते हैं। जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान के उपबंध *(जम्मू-कश्मीर तथा भारत के बीच संबंधों से संबंधित उपबंधों को छोड़कर)* राज्य की विधान सभा द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित करके संशोधित किए जा सकते हैं परन्तु ऐसे संशोधन जिससे राज्यपाल या निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों पर प्रभाव पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है।

नोट : *संविधान के अनुच्छेद--370 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भारत के संविधान संशोधन को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू किया जा सकता है।*

- ➢ संवैधानिक आदेश, 1986 द्वारा, अनुच्छेद-249 को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय हित के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
- ➢ भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के विधान मंडल की सहमति के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकती है—

1. राज्य के नाम या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन *(अनुच्छेद-3)*।
2. राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी भाग को प्रभावित करने वाली कोई अन्तर्राष्ट्रीय संधि *(अनुच्छेद-253)*।
3. संविधान के अनु. 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है।

- ➢ जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा-92 के अधीन राज्यपाल का शासन एवं भारत के संविधान के अनु. 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। *(अनुच्छेद 356 एवं 357 को संशोधन आदेश, 1964 द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य तक विस्तृत किया गया है।)*

नोट : *जम्मू-कश्मीर में सर्वप्रथम राज्यपाल का शासन 27 मार्च, 1977 को लगा और पहली बार राष्ट्रपति शासन 7 दिसम्बर, 1986 को लगा। सर्वाधिक समय तक अनु. 356 का प्रयोग जम्मू-कश्मीर राज्य में ही रहा (19.07.1990 से 09.10.1996 तक)*

- ➢ अनुच्छेद-360 *(वित्तीय आपात)* जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होता है।
- ➢ संवैधानिक आदेश का संशोधन करके नियंत्रक महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता *(अनु. 135 और अनु. 139 को छोड़कर)* को जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू कर दिया गया है।
- ➢ भारत के अंग होने के बाबजूद जम्मू-कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता *(जम्मू-कश्मीर व भारत की)* है, जो भारत के किसी और राज्य के लोगों के पास नहीं है।
- ➢ जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग है।
- ➢ जम्मू-कश्मीर के विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का न होकर 6 वर्ष का होता है।
- ➢ यदि जम्मू-कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के पुरुष से विवाह कर ले तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाएगी और अगर वह पाकिस्तानी पुरुष से विवाह कर ले तो उस पाकिस्तानी पुरुष को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी।
- ➢ जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार लागू नहीं है।
- ➢ जम्मू-कश्मीर से बाहर के लोग वहाँ पर किसी प्रकार की जमीन नहीं खरीद सकते।
- ➢ जम्मू-कश्मीर में हिन्दू एवं सिख अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।

34. भारत के राष्ट्रीय चिह्न

- ➢ राष्ट्रीय प्रतीक *(National Symbol)* : भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तम्भ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी, 1950 ई. को अपनाया। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद् में लिखा सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है। शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाये जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग-अलग रंग के होते हैं। नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राष्ट्रीय प्रतीक राज्य सभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा राष्ट्रीय प्रतीक लोक सभा के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है।

नोट : *भारत के राजचिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय (अनुचित उपयोग निषेध) अधिनियम-2005 के तहत नियंत्रित होती है।*

- ➢ राष्ट्रीय ध्वज *(National Flag)* : तीन पट्टियों वाला तिरंगा, गहरा केसरिया *(ऊपर)*, सफेद *(बीच)* और गहरा हरा रंग *(नीचे)* है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियाँ हैं तथा इसे सारनाथ में अशोक के सिंह स्तम्भ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र-ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई, 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जागृति, शौर्य व त्याग का, सफेद रंग सत्य एवं पवित्रता का एवं हरा रंग जीवन-समृद्धि का प्रतीक है।
- ➢ राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया।
- ➢ भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है।
- ➢ जनवरी, 2004 ई. को एक महत्वपूर्ण विनिर्णय में उच्चतम न्यायालय *(मुख्य न्यायाधीश बी. एन. खरे की अध्यक्षता में)* ने यह घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद-19 (1) (अ) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है।
- ➢ राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज को 12 दिनों तक झुका दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री एवं पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है।
- ➢ प्रसिद्ध झंडा गीत 'झंडा ऊँचा रहे हमारा' की रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की है।

नोट : *भारत के राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त, 1947 ई. की मध्य रात्रि में हुआ।*

- ➢ राष्ट्र-गान *(National Anthem)* : रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित 'जन-गण-मन' के हिन्दी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी, 1950 ई. को भारत का 'राष्ट्र-गान' स्वीकार किया। इसके गायन का समय 52 सेकेण्ड है तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकेण्ड है जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ गायी जाती हैं। यह सर्वप्रथम 27 दिसम्बर, 1911 ई. को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन *(अध्यक्ष–पं. बिशन नारायण दत्त)* में गाया गया। इसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ई. में 'तत्त्व बोधिनी' में 'भारत भाग्य विधाता' शीर्षक से प्रकाशित किया था तथा 1919 ई. में *'Morning Song of India'* के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर *(INA के सिपाही)* को जाता है।
- ➢ राष्ट्र-गीत *(National Song)* : बंकिमचन्द्र चटर्जी के उपन्यास 'आनन्दमठ' में उन्हीं के द्वारा रचित 'वन्दे मातरम्' को राष्ट्र गीत के रूप में 26 जनवरी, 1950 ई. को स्वीकार किया गया। इसे सर्वप्रथम 1896 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस के अधिवेशन *(अध्यक्ष–रहीमतुल्ला सयानी)* में गाया गया था। इस गीत को गाने का समय 1 मिनट और पाँच सेकेण्ड है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र-गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

Education Keeda

नोट : *भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ 'जन गण मन' से और समापन 'वंदे मातरम्' के गायन से होता है।*

- राष्ट्रीय कैलेण्डर : गिगेरियन कैलेण्डर के साथ देश भर के लिए शक संवत् पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च, 1957 ई. को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र है। यह सामान्यतः सामान्य वर्ष में 22 मार्च को एवं लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ होता है।
- राष्ट्रीय पुष्प : भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल *(नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन)* है।
- राष्ट्रीय पक्षी : भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर *(पावो क्रिस्टेटस)* है।
- राष्ट्रीय पशु : भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ *(पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस)* है।
- राष्ट्रीय फल : आम *(मेनिगिफेरा इंडिका)* भारत का राष्ट्रीय फल है।
- राष्ट्रीय वृक्ष : बरगद *(फाइकस बेंधालेंसिस)* भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है।
- राष्ट्रीय नदी : 4 नवम्बर, 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया।
- राष्ट्रीय जलीय जीव : गंगा डॉल्फिन *(प्लाटानिस्टा गैंगेटिक)* को 5 अक्टूबर, 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया।
- राष्ट्रीय विरासत पशु : हाथी *(एलिफास इंडिका)* भारत का विरासत पशु है।

35. संसद की वित्तीय समितियाँ

1. प्राक्कलन समिति

- इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है।

नोट : *प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है।*

- समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है।
- इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष मई में समिति का कार्यकाल प्रारंभ होता है तथा अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है।
- समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, किन्तु यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति में चुना जाता है तो फिर वही समिति का अध्यक्ष भी चुना जाता है।
- यह समिति सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, संगठन में कैसे कुशलता लाई जाए तथा प्रशासन में कैसे सुधार किये जाएं आदि विषयों पर रिपोर्ट देती है।
- प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती है, परंतु यह समिति अपना कार्य वर्ष भर करती है और अपना दृष्टिकोण सदन के समक्ष रखती है।

2. लोक लेखा समिति

- प्राक्कलन समिति की 'जुड़वाँ बहन' के रूप में ज्ञात इस समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा एक वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाते हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं ।
- समिति के सदस्यों का संसद द्वारा प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की सहायता से चयन किया जाता है।
- इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है तथा लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका अदा करता है।
- 1967 में प्रथम बार श्री मीनू मसानी विरोधी दल के नेता बने, तो उन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर लिया गया और उसी समय से विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य को इस समिति के अध्यक्ष मनोनीत करने की परंपरा की शुरुआत हुई।
- लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह-सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य : 1. यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा-परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जाँच करती है। 2. भारत सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गयी राशियों का विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की जाँच करना। 3. संसद द्वारा प्रदान की गई धनराशि के अतिरिक्त धनराशि को व्यय किया गया हो, तो समिति उन परिस्थितियों की जाँच करती है, जिसके कारण अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। 4. समिति राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों के संचालन में अप-व्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता में कमी के किसी प्रमाण को खोज सकती है।

नोट : *लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन लोक सभा को देती है जिससे कि जो अनियमितताएँ उसके ध्यान में आई है उन पर संसद में बहस हो और उन पर प्रभावी कदम उठाये जा सकें।*

3. सरकारी उपक्रमों की समिति

- कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति पर 1963 में सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रण के लिए लोकसभा ने सार्वजनिक उपक्रम समिति की व्यवस्था की।
- इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रत्येक वर्ष मई के प्रारंभ में इस समिति का गठन किया जाता है।
- समिति का अध्यक्ष लोकसभा-अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाता है।
- इस समिति के निम्न कार्य हैं : 1. सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करना। 2. ऐसे विषयों की जाँच करना, जो सदन या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जाएँ।

4. कुछ अन्य मुख्य समितियाँ

- कार्य-मंत्रणा समिति : लोकसभा की कार्य-मंत्रणा समिति में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की कार्य-मंत्रणा समिति में इसकी सभा का सभापति इसका पदेन सभापति होता है।
- गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प संबंधी समिति : इसका गठन लोकसभा में किया जाता है। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होता है।
- नियम समिति : लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की नियम समिति में सभापति एवं उपसभापति सहित 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा-अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति अपने-अपने सदन की समितियों के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति : इसमें 30 सदस्य शामिल किये जाते हैं। इसमें 20 लोकसभा तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं।
- ग्रंथालय समिति : इसमें 9 सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 6 लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य शामिल किये जाते हैं। इस समिति का गठन प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

36. पंचायती राज

- लॉर्ड रिपन का 1882 ई. का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए ''मैग्नाकार्टा'' का हैसियत रखता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है।
- पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन-भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देना है।
- पंचायती राज का शुभारम्भ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, 1959 ई. को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ।

Education Keeda

➢ 11 अक्टूबर, 1959 ई. को पं. नेहरू ने आन्ध्रप्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया।

➢ पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पाँच वर्ष होगी [अनु. 243 (ङ)]

पंचायती राजव्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियाँ	
बलवन्त राय मेहता समिति	1957
अशोक मेहता समिति	1977
पी. वी. के. राय. समिति	1985
एल. एम. सिंधवी समिति	1986
64वाँ संविधान संशोधन	1989
73वाँ संविधान संशोधन	1993

➢ यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है।

➢ किन्तु यदि पंचायत ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि छः महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है।

➢ अनुच्छेद-243 (च) के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है।

73वाँ संविधान संशोधन

➢ 73वाँ संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग–9 अनुच्छेद-243 *(क से ण तक कुल 16 अनुच्छेद)* तथा अनुसूची-11 का प्रावधान किया गया है।

नोट : *वर्ष 1986 में गठित एल. एम. सिंधवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।*

➢ वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नगालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रशासित राज्यों में लागू है।

73वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें :

1. इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन की व्यवस्था की गयी है। 2. पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में एक-तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। 3. इसका कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अन्दर निर्वाचन होंगे। 4. राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।

नोट : *73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करनेवाला प्रथम राज्य कर्नाटक है।*

74वाँ संविधान संशोधन

➢ 74वाँ संविधान संशोधन नगरपालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग–9क, अनु.-243 *(त से य, छ तक)* एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगरपालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

74वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें :

➢ नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित हैं।

➢ नगरपालिकाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

➢ नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। विघटन की स्थिति में छह माह के अन्दर चुनाव कराना है।

नगरपालिका के प्रकार

नगर पंचायत : ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो।
नगर परिषद् : छोटे नगर क्षेत्र के लिए।
नगर निगम : बड़े नगर क्षेत्र के लिए।

नोट : *नगरनिगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितम्बर 1688 ई. में की गयी थी। 1687 में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने मद्रास में नगर-निगम बनाने की अनुमति दी।*

37. महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ

1. शून्य काल : संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यह 12 बजे प्रारम्भ होता है और एक बजे दिन तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल अर्थात् 12 बजे से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल का नाम समाचारपत्रों द्वारा दिया गया। इस काल के दौरान सदस्य अविलम्बनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं।

नोट : *वर्तमान में शून्य काल 1 बजे से 2 बजे तक चलता है।*

2. सदन का स्थगन : सदन के स्थगन द्वारा सदन के काम-काज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। यह कुछ घण्टे, दिन या सप्ताह का भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है।

3. विघटन : विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है। इससे लोकसभा का अन्त हो जाता है।

4. अनुपूरक प्रश्न : सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय, जिसके सम्बन्ध में उत्तर दिया जा चुका है, के स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है।

5. तारांकित प्रश्न : जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न पर तारा लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है।

6. अतारांकित प्रश्न : जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते।

7. स्थगन प्रस्ताव : स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तब सदन अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

8. अल्प सूचना प्रश्न : जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का हो तथा जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित दस दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्पसूचना प्रश्न कहा जाता है।

9. संचित निधि *(Consolidated Fund)* : संविधान के अनुच्छेद-266 में संचित निधि का प्रावधान है। संचित निधि से धन संसद में प्रस्तुत अनुदान माँगों के द्वारा ही व्यय किया जाता है। राज्यों को करों एवं शुल्कों में से उनका अंश देने के बाद जो धन बचता है, निधि में डाल दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन तथा भत्ते इसी निधि पर भारित होते हैं।

10. आकस्मिक निधि *(Contingency Fund)* : संविधान के अनुच्छेद-267 के अनुसार भारत सरकार एक आकस्मिक निधि की स्थापना करेगी। इसमें जमा धनराशि का व्यय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। संसद की स्वीकृति के बिना इस मद से धन नहीं निकाला जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अग्रिम रूप से इस निधि से धन निकाल सकते हैं।

11. आधे घंटे की चर्चा : जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो, उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में सप्ताह में तीन दिन, यथा—सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन, जिसे सभापति नियत करे, सामान्यतः 5 बजे से 5.30 बजे के बीच की जा सकती है। ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना का प्रश्न रहा हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम-से-कम तीन दिन पूर्व दी जानी चाहिए।

Education Keeda

12. अल्पकालीन चर्चाएँ : भारत में इस प्रथा की शुरुआत 1953 ई. के बाद हुई। इसमें लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी चर्चा के लिए स्पष्ट कारणों सहित सदन के महासचिव को सूचना देना आवश्यक होता है। इस सूचना पर कम-से-कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर होना भी आवश्यक है।

13. विनियोग विधेयक : विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धन तथा सरकार के खर्च हेतु अनुदान की माँग शामिल होती है। भारत की संचित निधि में से कोई धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है।

14. लेखानुदान : जैसा कि विदित है, विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से कोई रकम निकाली जा सकती है; किन्तु सरकार को इस विधेयक के पारित होने के पहले भी रुपयों की आवश्यकता हो सकती है। अनुच्छेद-116 (क) के अन्तर्गत लोकसभा लेखा-अनुदान *(Vote on Account)* पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट-विवरण देना सरकार के लिए सम्भव नहीं है।

15. वित्त विधेयक *(Finance Bill)* : संविधान का अनुच्छेद-112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं, जो राजस्व या व्यय से सम्बन्धित होता है। संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा-अध्यक्ष को है।

16. धन विधेयक : संसद में राजस्व एकत्र करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबद्ध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद-110 (1) के उपखण्ड (क) से (छ) तक में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है।

17. अनुपूरक अनुदान : यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पायी जाती है या वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई, और किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवायेगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है।

18. बजट सत्र : यह सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार को आरंभ होता है। इसे बजट सत्र इसलिए कहते हैं कि इस सत्र में आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत, विचारित और पारित किया जाता है।

19. सामूहिक उत्तरदायित्व : अनुच्छेद-75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि वह अपने पद पर तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे निम्न सदन अर्थात् लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। लोकसभा का विश्वास खोते ही मंत्रिपरिषद् को तुरंत पद-त्याग करना होगा।

20. कटौती प्रस्ताव : सत्ता पक्ष द्वारा सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की माँगों में से किसी भी प्रकार की कटौती के लिए विपक्ष द्वारा रखे गये प्रस्ताव को 'कटौती प्रस्ताव' कहा जाता है। सरकार की नीतियों की अस्वीकृति को दर्शाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायः एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है जिसका अर्थ यह भी होता है कि प्रस्ताव माँग के मुद्दों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

21. अविश्वास प्रस्ताव : अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम-से-कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के 10 दिन के अन्दर इस पर चर्चा होना भी आवश्यक है। चर्चा के बाद अध्यक्ष मतदान द्वारा निर्णय की घोषणा करता है।

22. मूल प्रस्ताव : मूल प्रस्ताव अपने-आप में सम्पूर्ण प्रस्ताव होता है, जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते हैं—(a) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव। (b) अविश्वास प्रस्ताव : इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास व्यक्त करता है और यदि यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है। (c) लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के लिए या हटाने के लिए प्रस्ताव। (d) विशेषाधिकार प्रस्ताव : यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य ने संसद में झूठा तथ्य प्रस्तुत करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है।

23. स्थानापन्न प्रस्ताव : जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किये जाते हैं, उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहा जाता है।

24. अनुषंगी प्रस्ताव : इस प्रस्ताव को विभिन्न प्रकार के कार्यों की अगली कार्यवाही के लिए नियमित उपाय के रूप में पेश किया जाता है।

25. प्रतिस्थापन प्रस्ताव : यह किसी अन्य प्रश्न पर विचार-विमर्श के दौरान पेश किया जाता है। कोई सदस्य किसी विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रतिस्थापन प्रस्ताव पेश करता है।

26. संशोधन प्रस्ताव : यह प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किया जाता है।

27. अनियमित दिन वाले प्रस्ताव : जिस प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के लिए कोई समय नियत नहीं किया जाता, उसे अनियमित दिन वाला प्रस्ताव कहा जाता है।

28. अध्यादेश : राष्ट्रपति या राज्यपाल संसद या विधान मंडल के सत्रावसान की स्थिति में आवश्यक विषयों से संबंधित अध्यादेश का प्रख्यापन करते हैं। अध्यादेश में निहित विधि संसद या विधान मंडल के अगले सत्र की शुरुआत के छह सप्ताह के बाद प्रवर्तन योग्य नहीं रह जाती यदि संसद अथवा विधान मंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है।

29. निन्दा प्रस्ताव : निन्दा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् अथवा किसी एक मंत्री के विरुद्ध उसकी विफलता पर खेद अथवा रोष व्यक्त करने के लिए किया जाता है। निन्दा प्रस्ताव में निन्दा के कारणों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। निन्दा प्रस्ताव नियमानुसार है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष करता है।

30. धन्यवाद प्रस्ताव : राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर तीन-चार दिनों तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। चर्चा प्रस्तावक द्वारा आरम्भ होती है तथा उसके बाद प्रस्तावक का समर्थक बोलता है। इस चर्चा में राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, क्योंकि अभिभाषण की विषय-वस्तु के लिए सरकार उत्तरदायी होती है। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है तथा उसे स्वीकृत किया जाता है।

31. विश्वास प्रस्ताव : बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में सन्देह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत उसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की दशा में सरकार को त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है।

32. बैक बेंचर *(Back Bencher)* : सदन में आगे के स्थान प्रायः मंत्रियों, संसदीय सचिवों तथा विरोधी दल के नेताओं के लिए आरक्षित रहते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों के लिए पीछे का स्थान नियत रहता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को ही बैक बेंचर कहा जाता है।

33. गुलेटिन : गुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी माँगों को जो नियत तिथि तक न निपटायी गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है।

Education Keeda

34. काकस *(Caucus)* : किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को 'काकस' कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है।

35. त्रिशंकु संसद : आम चुनाव में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में त्रिशंकु संसद की रचना होती है। त्रिशंकु संसद की स्थिति में दल-बदल जैसे कुप्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। देश में नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं लोकसभा की यही स्थिति रही।

36. नियम 193 : इस नियम के अंतर्गत सदस्य अत्यावश्यक एवं अविलम्बनीय विषय पर तुरंत अल्पकालिक चर्चा की माँग कर सकते हैं। यह नियम 1953 ई. में बनाया गया था। इससे सदन की नियमावली में अविलम्ब चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य कोई साधन सदस्यों के पास न था, इसीलिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत सदस्य किसी भी सार्वजनिक महत्व के अविलंबनीय विषय पर अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस दे सकते हैं। यह चर्चा किसी प्रस्ताव के माध्यम से नहीं होती। इस कारण चर्चा के अंत में सदन में मत-विभाजन नहीं होता। केवल सभी पक्ष के सदस्यों को सम्बद्ध विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता है।

37. न्यायिक पुनर्विलोकन : भारत में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अनुसार न्यायालयों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि विधान मंडल द्वारा पारित की गयी विधियाँ अथवा कार्यपालिका द्वारा दिये गये आदेश संविधान के प्रतिकूल हैं, तो वे उन्हें निरस्त घोषित कर सकते हैं।

38. गणपूर्ति *(Quorum)* : सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग होती है। बैठक शुरू होने के पूर्व यदि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है, जब गणपूर्ति हो जाती है।

39. प्रश्नकाल : दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारम्भ के एक घंटे तक प्रश्न किये जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्न काल के दौरान सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचन-प्रत्यालोचन का समय मिलता है। इसके दो लाभ हैं—एक तो सरकार जनता की कठिनाइयों एवं अपेक्षाओं के प्रति सजग रहती है; दूसरे, इस दौरान सरकार अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी सदन को देती है।

40. दबाव समूह *(Pressure Group)* : व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं, 'दबाव समूह' कहे जाते हैं। ये ग्रुप अपने हित के लिए शासन-तंत्र पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाते हैं।

41. पंगु सत्र *(Lameduck Session)* : एक विधान मंडल के कार्यकाल की समाप्ति तथा दूसरे विधान मंडल के कार्यकाल की शुरुआत के बीच के काल में सम्पन्न होनेवाले सत्र को 'पंगु सत्र' कहा जाता है। यह व्यवस्था केवल अमेरिका में है।

42. सचेतक *(Whip)* : राजनीतिक दल में अनुशासन बनाये रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति प्रत्येक संसदीय दल द्वारा की जाती है। किसी विषय-विशेष पर मतदान होने की स्थिति में सचेतक अपने दल के सदस्यों को मतदान विषयक निर्देश देता है। सचेतक के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने वाले सदस्य के विरुद्ध दल-बदल निरोध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

38. संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद-1 : यह घोषणा करता है कि भारत 'राज्यों का संघ' है।

अनुच्छेद-2 : नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान।

अनुच्छेद-3 : संसद विधि द्वारा नये राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है।

अनुच्छेद-5 : संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों।

अनुच्छेद-53 : संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी।

अनुच्छेद-64 : उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा।

अनुच्छेद-74 : एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के लिए किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी विवाद की परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जायेगी।

अनुच्छेद-76 : राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जायेगी।

अनुच्छेद-78 : प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद् के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे।

अनुच्छेद-86 : इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है।

अनुच्छेद-89 : राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति।

अनुच्छेद-108 : यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है।

अनुच्छेद-110 : धन विधेयक को इसमें परिभाषित किया गया है।

अनुच्छेद-111 : संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को सम्मति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दुबारा विधेयक को संसद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे अस्वीकृत नहीं करेगा।

अनुच्छेद-112 : प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जायेगा।

अनुच्छेद-123 : संसद के अवकाश *(सत्र नहीं चलने की स्थिति)* में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार।

अनुच्छेद-124 : इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है।

अनुच्छेद-129 : सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।

अनुच्छेद-148 : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी।

अनुच्छेद-163 : राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्रिपरिषद् एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के स्वविवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद् के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुच्छेद-169 : राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है।

अनुच्छेद-200 : राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दुबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है।

अनुच्छेद-213 : राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।

अनुच्छेद-214 : सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी।

अनुच्छेद-226 : मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियाँ।

अनुच्छेद-233 : जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जायेगी।

अनुच्छेद-235 : उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा।

अनुच्छेद-239 : केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है।

अनुच्छेद-243 : इसमें पंचायत एवं नगरपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिया गया है।

अनुच्छेद-245 : संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधानपालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है।

अनुच्छेद-248 : विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में निहित हैं।

अनुच्छेद-249 : राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को एक वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे।

अनुच्छेद-262 : अंतरराज्यीय नदियों या नदी-घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है।

अनुच्छेद-263 : केन्द्र-राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतरराज्यीय परिषद् की स्थापना कर सकता है।

अनुच्छेद-266 : भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अविष्टियाँ एकत्र रहेंगी, विधि-सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है।

अनुच्छेद-267 : संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जायेगी।

अनुच्छेद-275 : केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिये जाने का प्रावधान।

अनुच्छेद-280 : राष्ट्रपति हर पाँचवें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होंगे तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगा।

अनुच्छेद-300 क : राज्य किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन, 1978 द्वारा इसे अनुच्छेद 300 (क) में एक सामान्य वैधानिक *(कानूनी)* अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया।

अनुच्छेद-312 : राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है।

अनुच्छेद-315 : संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जायेगी।

अनुच्छेद-324 : चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग में निहित रहेंगी।

अनुच्छेद-326 : लोकसभा तथा विधान सभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

अनुच्छेद-330 : लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण।

अनुच्छेद-331 : आँग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनयन संभव है, यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है।

अनुच्छेद-332 : अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान।

अनुच्छेद-333 : आँग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन।

अनुच्छेद-335 : अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान।

अनुच्छेद-338 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुच्छेद-338 (क) : राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद-340 : पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति।

अनुच्छेद-343 : संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई 'हिन्दी' होगी।

अनुच्छेद-347 : यदि किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है।

अनुच्छेद-351 : यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बने।

अनुच्छेद-352 : राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा, यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है।

अनुच्छेद-355 : इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है।

अनुच्छेद-356 : यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

अनुच्छेद-360 : यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता एवं साख खतरे में है तो वह वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है।

अनुच्छेद-365 : यदि कोई राज्य केन्द्र द्वारा भेजे गये किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि-सम्मत होगा कि उस राज्य में संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलने की स्थिति नहीं है और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

अनुच्छेद-368 : संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है।

अनुच्छेद-370 : इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है।

अनुच्छेद-371 : कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे—महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, मणिपुर इत्यादि।

अनुच्छेद 394 क : राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिन्दी भाषा में अनुवाद करायेगा।

अनुच्छेद-395 : भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, भारत सरकार अधिनियम, 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को, जिसमें प्रिवी कौंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है, यहाँ रद्द किया जाता है।

39. संविधान में किये गये प्रमुख संशोधन

पहला संशोधन *(1951 ई.)* : इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किये जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही, इस संशोधन द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है।

दूसरा संशोधन *(1952 ई.)* : इसके अंतर्गत 1951 ई. की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया।

तीसरा संशोधन *(1954 ई.)* : इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की तैंतीसवीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है।

चौथा संशोधन *(1955 ई.)* : इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किये जाने की स्थिति में, न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती।

पांचवाँ संशोधन *(1955 ई.)* : राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय-सीमा का निर्धारण करें।

छठा संशोधन *(1956 ई.)* : इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतरराज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंन्द्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया।

सातवाँ संशोधन *(1956 ई.)* : इस संशोधन द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के तीन श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही, इनके अनुरूप केन्द्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया।

आठवाँ संशोधन *(1959 ई.)* : इसके अंतर्गत केन्द्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आँग्ल-भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को दस वर्षों के लिए अर्थात् 1970 ई. तक बढ़ा दिया गया।

नौवाँ संशोधन *(1960 ई.)* : इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिये गये।

दसवाँ संशोधन *(1961 ई.)* : इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतःक्षेत्रों—दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया।

ग्यारहवाँ संशोधन *(1961 ई.)* : इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर, इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचकमंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती।

बारहवाँ संशोधन *(1962 ई.)* : इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया।

तेरहवाँ संशोधन *(1962 ई.)* : इसके अंतर्गत नगालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया।

चौदहवाँ संशोधन *(1963 ई.)* : इसके द्वारा केंद्रशासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही, इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों में विधानपालिका एवं मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई।

पंद्रहवाँ संशोधन *(1963 ई.)* : इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाये गये।

सोलहवाँ संशोधन *(1963 ई.)* : इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गये। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत 'मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखण्डता को बनाए रखूँगा' जोड़ा गया।

सत्रहवाँ संशोधन *(1964 ई.)* : इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नौवीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती थी।

अठारहवाँ संशोधन *(1966 ई.)* : इसके अंतर्गत पंजाब का भाषायी आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिन्दी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिये गये तथा चंडीगढ़ को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया।

उन्नीसवाँ संशोधन *(1966 ई.)* : इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव-याचिकाएँ सुनने का अधिकार दिया गया।

बीसवाँ संशोधन *(1966 ई.)* : इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई।

इक्कीसवाँ संशोधन *(1967 ई.)* : इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत पंद्रहवीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।

बाईसवाँ संशोधन *(1969 ई.)* : इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया।

तेईसवाँ संशोधन *(1969 ई.)* : इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आँग्ल-भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

चौबीसवाँ संशोधन *(1971 ई.)* : इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग तीन के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। साथ ही, यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जायेगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा।

पच्चीसावाँ संशोधन *(1971 ई.)* : संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती। अनुच्छेद-39 (ख) या (ग) में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद-14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंखन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

छब्बीसवाँ संशोधन *(1971 ई.)* : इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी–पर्स को समाप्त कर दिया गया।

सत्ताईसवाँ संशोधन *(1971 ई.)* : इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केन्द्रशासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया।

उनतीसवाँ संशोधन *(1972 ई.)* : इसके अंतर्गत केरल भू-सुधार *(संशोधन)* अधिनियम, 1969 तथा केरल भू-सुधार *(संशोधन)* अधिनियम, 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।

इकतीसवाँ संशोधन *(1973 ई.)* : इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया।

बत्तीसवाँ संशोधन *(1974 ई.)* : इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किये जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिये गये एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे।

चौंतीसवाँ संशोधन *(1974 ई.)* : इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित बीस भू-सुधार अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया।

पैंतीसवाँ संशोधन *(1974 ई.)* : इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे सम्बद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया।

छत्तीसवाँ संशोधन *(1975 ई.)* : इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का बाईसवाँ राज्य बनाया गया।

Education Keeda

सैंतीसवाँ संशोधन *(1975 ई.)* : इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किये जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया।

उनतालीसवाँ संशोधन *(1975 ई.)* : इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया।

इकतालीसवाँ संशोधन *(1976 ई.)* : इसके द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा-निवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई।

बयालीसवाँ संशोधन *(1976 ई.)* : इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाये गये, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे—(क) संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' एवं 'एकता और अखण्डता' आदि शब्द जोड़े गये। (ख) सभी नीति-निर्देशक सिद्धान्तों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। (ग) इसके अंतर्गत संविधान में दस मौलिक कर्त्तव्यों को अनुच्छेद-51 (क), *(भाग–iv क)* के अंतर्गत जोड़ा गया। (घ) इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। (ङ) सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया। (च) लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को पाँच से छह वर्ष कर दिया गया। (छ) इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केन्द्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही, यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर पाँच से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दो-तिहाई बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या पाँच तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। (ज) इसके द्वारा वन-संपदा, शिक्षा, जनसंख्या-नियंत्रण आदि विषयों को राज्य-सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। (झ) इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। (ट) इसने संसद को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिये एवं सर्वोच्चता स्थापित की।

चौवालीसवाँ संशोधन *(1978 ई.)* : इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए 'आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सैन्य विद्रोह' का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया, जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा कर विधिक *(कानूनी)* अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई।

पचासवाँ संशोधन *(1984 ई.)* : इसके द्वारा अनुच्छेद-33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएँ एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिये गये। साथ ही, इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य-पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिये गये।

बावनवाँ संशोधन *(1985 ई.)* : इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधान मंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा, जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव-चिह्न पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के एक-तिहाई सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल-बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया।

तिरपनवाँ संशोधन *(1986 ई.)* : इसके अंतर्गत अनुच्छेद-371 में खंड 'जी' जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया।

चौवनवाँ संशोधन *(1986 ई.)* : इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग 'डी' में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया।

पचपनवाँ संशोधन *(1986 ई.)* : इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया।

छप्पनवाँ संशोधन *(1987 ई.)* : इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया।

सत्तावनवाँ संशोधन *(1987 ई.)* : इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नगालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया।

अट्ठावनवाँ संशोधन *(1987 ई.)* : इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिन्दी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया।

साठवाँ संशोधन *(1988 ई.)* : इसके अंतर्गत व्यवसाय-कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई।

इकसठवाँ संशोधन *(1989 ई.)* : इसके द्वारा मतदान के लिए आयु-सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था।

पैंसठवाँ संशोधन *(1990 ई.)* : इसके द्वारा अनुच्छेद-338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है।

उनहत्तरवाँ संशोधन *(1991 ई.)* : दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद् का उपबंध किया गया।

सत्तरवाँ संशोधन *(1992 ई.)* : दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया।

इकहत्तरवाँ संशोधन *(1992 ई.)* : आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया।

तिहत्तरवाँ संशोधन *(1992–93 ई.)* : इसके अंतर्गत संविधान में ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग–9 जोड़ा गया। इसमें अनु.-243 और अनु.-243 क से 243 ण तक अनुच्छेद है।

चौहत्तरवाँ संशोधन *(1993–93 ई.)* : इसके अंतर्गत संविधान में बारहवीं अनुसूची शामिल की गयी, जिसमें नगरपालिका, नगर निगम और नगर-परिषदों से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग–9 क जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद-243 से अनुच्छेद-243 यद तक के अनुच्छेद हैं।

नोट *: 73वाँ संविधान संशोधन 25.04.1993 से और 74वाँ 01.06.1993 से प्रवृत्त हुआ है।*

छिहत्तरवाँ संशोधन *(1994 ई.)* : इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबन्ध करने वाली अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है।

अठहत्तरवाँ संशोधन *(1995 ई.)* : इसके द्वारा नौवीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है। इस प्रकार नौवीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गयी है।

उन्नासीवाँ संशोधन *(1999 ई.)* : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 ई. तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केन्द्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा।

Education Keeda

बेरासीवाँ संशोधन *(2000 ई.)* : इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है।

तिरासीवाँ संशोधन *(2000 ई.)* : इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है।

चौरासीवाँ संशोधन *(2001 ई.)* : इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ई. तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है।

पचासीवाँ संशोधन *(2001 ई.)*: सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था।

छियासीवाँ संशोधन *(2002 ई.)* : इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है, इसे अनुच्छेद-21(क) के अन्तर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद-45 तथा अनुच्छेद-51(क) में संशोधन किये जाने का प्रावधान है।

सतासीवाँ संशोधन *(2003 ई.)* : परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ई. की जनगणना के स्थान पर 2001 ई. कर दी गई है।

अठासीवाँ संशोधन *(2003 ई.)* : सेवाओं पर कर का प्रावधान।

नबासीवाँ संशोधन *(2003 ई.)* : अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक् राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था।

नब्बेवाँ संशोधन *(2003 ई.)* : असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड, टेरीटोरियल कौंसिल क्षेत्र, गैर-जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा।

इक्यानवेवाँ संशोधन *(2003 ई.)* : दल-बदल व्यवस्था में संशोधन, केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता, केन्द्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद् के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा *(जहाँ सदन की सदस्य संख्या 40-40 है, वहाँ अधिकतम 12 होगी)*।

बेरानवेवाँ संशोधन *(2003 ई.)* : संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश।

तिरानवेवाँ संशोधन *(2006 ई.)* : शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति / जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद-15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है।

चौरानवेवाँ संशोधन *(2006 ई.)* : इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्यप्रदेश एवं ओडिशा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है।

पंचानबेवाँ संशोधन *(2009 ई.)*: इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद-334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल-भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

96वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 : संविधान की 8वीं अनुसूची में 'उडिया' के स्थान पर 'ओडिया' लिखा जाए।

97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 : इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए गए—1. सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। [अनुच्छेद-19 (1)ग] 2. राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत का समावेश। *(अनुच्छेद-43 ख)* 3. 'सहकारी समितियाँ' नाम से एक नया भाग–IX–ख संविधान में जोड़ा गया। [अनुच्छेद-243 यज से 243 यन]

98वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2012 : संविधान में अनुच्छेद-371 (जे) शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठने के लिए सशक्त करना था।

99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 : राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना।

100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2015 : भारत-बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

101वाँ संविधान संशोधन, 2017 : इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाकर को लागू किया गया।

★★★

Education Kreeda